अनुसंधान प्रतिवेदन क्र.

शासकीय उपयोग हेतु

कक्षा पहली से आठवीं तक के अनुसूचित जनजाति छात्र-छात्राओं के शालात्याग के कारणों का अध्ययन

[redacted]

मार्गदर्शन :- श्री. आशीष कुमार भट्ट. संचालक, (आई.एफ.एस)

निर्देशन :- श्री. एम.एल. पंसारी, अनुसंधान अधिकारी

विश्लेषण एवं प्रतिवेदन :- डॉ. रुपेन्द्र कवि, अनुसंधान सहायक एवं डॉ. राजेन्द्र सिंह, अनुसंधान सहायक

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर (छ.ग.)

''कक्षा पहली से आठवीं तक के अनुसूचित जनजाति छात्र–छात्राओं के शाला त्याग के कारणों का अध्ययन''

//विषय सूची//

	पृष्ठ संख्या
अध्याय – 1 प्रस्तावना	1
अध्याय – 2 क्षेत्र परिचय	05
अध्याय – 3 जनजातीय परिचय	13
अध्याय – 4 सामाजिक –शैक्षणिक स्थिति	25
अध्याय – 5 शाला त्यागी बच्चों की स्थिति	36
अध्याय – 6 शाला त्याग के कारणों का विश्लेषण	50
अध्याय – 7 निष्कर्ष एवं सुझाव	59

''कक्षा पहली से आठवीं तक अनुसूचित जनजाति छात्र–छात्राओं के शाला त्याग के कारणों का अध्ययन''

1. प्रस्तावना :–
   - 1.1 प्रस्तावना,
   - 1.2 उद्देश्य,
   - 1.3 महत्व,
   - 1.4 अध्ययन की सीमा
   - 1.5 अनुसंधान प्रविधि,
2. क्षेत्र परिचय :–
   - 2.1 छत्तीसगढ़,
   - 2.2 बस्तर,
   - 2.3 बास्तानार,बकावंड विकासखंड,
3. जनजातीय परिचयः–
   - 3.1 भतरा जनजाति
   - 3.2 दण्डामी माड़िया जनजाति
4. सामाजिक – शैक्षणिक स्थिति।
5. शाला त्यागी बच्चों की स्थितिः–
   - चयनित शालाओं में शाला त्याग की स्थिति,
   - सर्वेक्षित बच्चों की स्थिति का विशलेषण,
6. शाला त्याग के कारणों का विश्लेषणः–
7. निष्कर्ष एवं सुझाव।

अध्याय– 1

प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग एक तिहाई जनसंख्या (31.76%) अनुसूचित जनजातियों की हैं। इन्हें आदिवासी वनवासी, गिरिजन, भूमिजन, वन्यजाति तथा जनजाति भी कहते हैं। पुरातत्वविद्, इतिहासकार तथा नृतवत्वेत्ता इन्हें भारत के प्राचीनतम निवासी मानते हैं। घने जंगलों, पहाड़ियों, घाटियों जैसे दुर्गम स्थलों में निवासरत होने के कारण ये विकास के संपर्क में नहीं आ पाये थे एवं समाज की मुख्यधारा से दूर होते गये। स्वंतत्रता पश्चात इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए भारतीय संविधान में इनके विकास के लिए अनेक प्रावधान किये गये है। शासन द्वारा इन पिछड़े जातियों के विकास के लिए सर्वांगिण विकास हेतु योजना तैयार की गई।

किसी भी समाज के विकास के लिए शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। शिक्षा के विकास के साथ समाज के सर्वांगीण विकास की संभावनायें परिलक्षित होती है। इंडिया विजन–2020 पर योजना आयोग के रिपोर्ट में यह आंकलन किया गया है कि सफल शिक्षा नीति राष्ट्र के राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय विकास के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निर्वाह कर सकती है। शिक्षा लोकतंत्र, उत्पादकता के विकास तथा आय एवं रोजगार के संभावना के क्षेत्र में आधार है।

भारत सरकार तथा राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक विकास हेतु विगत कुछ दशक से अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक विकास हेतु आश्रम शाला,स्कूल निःशुल्क पाठ्यपुस्तक एवं गणवेश,छात्रवृत्ति,शिक्षावृत्ति के साथ–साथ निःशुल्क सायकिल प्रदाय योजनायें संचालित है। इन सबके बावजूद बस्तर जैसे अनुसूचित

क्षेत्र/जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र में आज भी शिक्षा का स्तर संतोषजनक नही है। शैक्षणिक विकास हेतु विद्यार्थियों का निरंतर शाला जाना व उच्च स्तर तक शिक्षा प्राप्त करना जरूरी है परंतु इसके विपरीत अन्यशोध व अध्ययनों में देखा गया है कि आदिवासी बच्चों में शाला त्याग व निम्न कक्षाओं तक ही शिक्षा प्राप्त करने की प्रवृति पाई जाती है जो कि शैक्षणिक विकास में अवरूद्व का कारण है अतः प्रस्तुत अनुसंधान अध्ययन अकादमिक उद्देश्यों की पूति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिला के ''कक्षा पहली से आठवीं तक अनुसूचित जनजाति छात्र–छात्राओं के शाला त्याग के कारणों का अध्ययन'' विषयक अध्ययन आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान क्षेत्रीय इकाई, जगदलपुर द्वारा पूर्ण किया गया है।

1.2 उद्देश्यः–

- कक्षा पहली से आठवीं तक अनुसूचित जनजाति छात्र–छात्राओं के शाला त्यागी की स्थिति का अध्ययन करना।
- शाला त्याग के पारिवारिक –सामाजिक–सांस्कृतिक कारणों का अध्ययन करना।
- शाला त्यागी छात्र–छात्राओं के शाला त्याग उपरांत गतिविधियों का अध्ययन का अध्ययन करना।
- कक्षा पहली से आठवीं तक अनुसूचित जनजाति छात्र–छात्राओं के शाला त्याग के कारणों पर विचार कर रोकने हेतु उचित सुझाव प्रस्तुत करना।

1.3 महत्वः–

प्रस्तुत अध्ययन कक्षा पहली से आठवीं तक अनुसूचित जनजाति छात्र–छात्राओं के शाला त्याग की वास्तविक स्थिति व कारणों को जानने में सहायक सिद्ध होगा। जनजातीय क्षेत्र में शाला त्याग की प्रवृत्ति को रोकने हेतु जारी प्रयासों की स्थिति स्पष्ट होगी। शाला त्यागी बच्चों के शाला त्यागने के सामाजिक सांस्कृतिक कारणों को ज्ञात कर शाला त्याग को रोकने हेतु दिये गये सुझाव शाला त्यागी दर को कम करने के प्रयास में उपयोगी होगा।

1.4 अध्ययन की सीमा–

''कक्षा पहली से आठवीं तक अनुसूचित जनजाति छात्र–छात्राओं के शाला त्याग के कारणों का अध्ययन'' हेतु बस्तर जिले के चयनित विकासखंड के अंतर्गत आने वाले शालाओं में शिक्षा सत्र 2011–12 से 2014–15 तक चार शिक्षा सत्र के दौरान शाला त्याग चुके अनुसूचित जनजाति छात्र–छात्राओं पर यह अध्ययन किया गया।

1.5 अध्ययन प्रविधि–

''कक्षा पहली से आठवीं तक अनुसूचित जनजाति छात्र–छात्राओं के शाला त्याग के कारणों का अध्ययन'' हेतु बस्तर जिले के सात विकासखंडों में से दैव निदर्शन विधि से बास्तानार तथा बकावंड विकासखंड का चयन किया गया। जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा के महत्व तथा प्रभाव के बारे में जागरूकता का अभाव है, दूसरी ओर शैक्षणिक सुविधा का अभाव, भाषागत समस्या, प्राथमिक या माध्यमिक स्तर तक शिक्षा या शालात्याग को बढ़ावा देती है। अतः इन विकासखडों में निवासरत अनुसूचित जनजाति छात्र–छात्राओं में शाला त्याग की स्थिति के अध्ययन से वास्तविक तथा संतुलित परिणाम प्राप्त होगा।

इसके पश्चात चयनित विकासखंडो के खंड शिक्षा अधिकारियों से विकास खंड के शाला त्यागी स्कूलों की जानकारी प्राप्त किया गया। इस प्रकार बकावंड विकास खंड के 24 तथा बास्तानार विकासखंड के 16 स्कूलों के सभी अनुसूचित जनजाति छात्र–छात्राओं/परिवार तथा शाला के शिक्षकों से प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया गया। इस प्रकार बकावंड विकासखंड के 102 तथा बास्तानार विकासखंड के 104 कुल 206 परिवारों, शाला त्यागी बच्चों का अध्ययन किया गया।

प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु साक्षात्कार तथा अनुसूची प्रविधि का उपयोग किया गया। प्राप्त प्राथमिक तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन तथा विश्लेषण पश्चात् प्रतिवेदन लेखन किया गया।

————000————

अध्याय–2

क्षेत्र परिचय

2.1 छत्तीसगढ़ राज्य–

छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 01 नवम्बर 2000 को किया गया। मध्यप्रदेश से पृथक होकर राष्ट्र के 26 वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। भारत में दो क्षेत्र ऐसे है, जिनका नाम विशेष कारणों से बदल गया–एक तो 'मगध' जो बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण ''बिहार'' बन गया और दूसरा 'दक्षिण कौशल' जो छत्तीस गढ़ों को अपने में समाहित रखने के कारण ''छत्तीसगढ़'' बन गया। ये दोनों ही क्षेत्र अत्यन्त प्राचीन काल से ही भारत को गौरवान्वित करते रहे हैं। ''छत्तीसगढ़'' तो वैदिक और पौराणिक काल से ही विभिन्न संस्कृतियों के विकास का केन्द्र रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य देश के मध्य–पूर्व क्षेत्र में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य वन, खनिज–संसाधन, प्राकृतिक सौंदर्य एवं आदिम निवासियों का यह क्षेत्र सामाजिक–सांस्कृतिक समरसता के लिए विख्यात है। पृथक राज्य बनने के बाद से जल, खनिज, जन तथा प्राकृतिक संसाधनों के व्यवस्थित व सुविचारित प्रबंधन से राज्य समृद्धि की ओर अग्रसर है।

2.1.1 भौगोलिक स्थितिः–

छत्तीसगढ़ राज्य, पूर्वी मध्यप्रदेश के 16 जिलों को पृथक कर बनाया गया है। इस राज्य के अंतर्गत पूर्व संभागीय प्रणाली के बस्तर संभाग के तीन, बिलासपुर संभाग के सात तथा रायपुर संभाग के छः जिले सम्मिलित है। यह राज्य $17^{0}46'$ उत्तरी अक्षांश से $24^{0}06'$ उत्तरी अक्षांश तक तथा $80^{0}15'$ पूर्वी देशांश से $84^{0}24'$ पूर्वी देशांश तथा 135194 वर्ग किमी. क्षेत्र में फैला हुआ है। इस प्रदेश का विस्तार भारत के 4.14 प्रतिशत क्षेत्र में हैं, क्षेत्रफल के अनुसार

छत्तीसगढ़ राज्य दसवे क्रम पर है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा छः राज्यों से मिलती है। उत्तर में उत्तरप्रदेश, उत्तर–पूर्व में झारखण्ड, पूर्व में उड़ीसा,दक्षिण में आंध्रप्रदेश, दक्षिण–पश्चिम में महाराष्ट्र, पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में मध्यप्रदेश राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा बनाते है।

2.1.2 इतिहासः–

छत्तीसगढ़ का इतिहास प्रागैतिहासिक काल मे अक्षुण्ण रहा है। रायगढ़ जिले के सिंघनपुर की गुफाओं तथा कबरा पहाड़ी में पचास हजार वर्ष पुराने शैलचित्र प्राप्त हुए है।(प्यारेलाल गुप्त 1973,78) ऐतिहासिक काल में छत्तीसगढ़ कोसल, महाकोसल या दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था।(गुप्त 1973,78) छत्तीसगढ़ का नाम इस क्षेत्र में विद्यमान 36 गढ़ (किला) के कारण पड़ा।

पुरातत्वशास्त्री रायबहादुर हीरालाल का मत है कि चेदिशवंशी हैहयों के कारण यह 'चेदिशगढ़' तथा कालांतर में छत्तीसगढ़ कहलाया।

सन् 1741 मे छत्तीसगढ़ पर भोंसला मराठो का अधिकार हुआ, परंतु अव्यवस्था के कारण इस क्षेत्र पर 1818 में अंग्रेजो का आधिपत्य हुआ। सन् 1830 में मराठो ने इस क्षेत्र पर पुनः अधिकार किया लेकिन 1854 में यह क्षेत्र अंतिम रूप में ब्रिटिश शासन के अधिकार में चला गया। सन् 1947 में पूरे छत्तीसगढ़ क्षेत्र का विलय स्वंतत्र भारत में हो गया और यह क्षेत्र मध्य प्रांत एवं बरार राज्य का हिस्सा बना। 1 नवम्बर 1956 को राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप यह क्षेत्र मध्यप्रदेश राज्य का अंग बना और अंततः 01 नवम्बर 2000 को छत्तीसगढ़ भारत के 26 वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया।

2.1.3 जनसंख्याः–

छत्तीसगढ़ राज्य जनसंख्या की दृष्टि से 16 वें स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसख्या 2,55,40,196 थी, जो देश की कुल जनसंख्या का 2.11 प्रतिशत है, छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात 991 है। छत्तीसगढ़ राज्य में जनसंख्या घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है तथा छत्तीसगढ़ राज्य की साक्षरता दर 71.04 प्रतिशत हैं।

2.2 बस्तर जिलाः–

बस्तर, देश के प्रमुख जनजातीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। जनजातीय बहुलता के कारण यह क्षेत्र संविधान की 5 वी अनुसूची के द्वारा शासित है। कला, सांस्कृतिक, खनिज, प्राकृतिक सौंदर्य के कारण इस क्षेत्र में पर्यटन एवं औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं है। अबूझमाड़ की आदिम संस्कृति, घोटूल परंपरा, गौरसिंग नृत्य, बस्तर दशहरा आदि इसके गहन सांस्कृतिक इतिहास का प्रतीक है। वहीं दूसरी और पल–पल करीब औद्योगिक विकास की आहट इसके सुनहरे भविष्य का संकेत है।

बस्तर, भारत के छत्तीसगढ़ प्रदेश के दक्षिण दिशा में स्थित जिला है। बस्तर जिले एवं बस्तर संभाग का मुख्यालय जगदलपुर शहर है। इसका क्षेत्रफल 4029.98 वर्ग कि.मी है। बस्तर जिला छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोंडागॉव, सुकमा, बीजापुर जिलों से घिरा हुआ है। बस्तर की जनसंख्या में 70 प्रतिशत जनजातीय समुदाय जैसे गोंड, मारिया, मुरिया, भतरा, हल्बा, धुरवा समुदाय हैं। बस्तर जिला को सात विकासखण्ड/तहसील, जगदलपुर, बस्तर बकावंड, लोहाण्डिगुड़ा, तोकापाल, दरभा, बास्तानार में विभाजित किया गया है। बस्तर जिला सरल स्वभाव जनजातीय समुदाय और प्राकृति सम्पदा संपन्न हुए प्राकृतिक सौन्दर्य एवं

सुखद वातावरण का भी धनी है। बस्तर जिला घने जंगलों, ऊँची, पहाड़ियों, झरनों, गुफाओं एवं वन्य प्राणियों से भरा हुआ है। बस्तर जिला के निवासी दुर्लभ कलाकृति, उदार संस्कृति एवं सहज सरल स्वभाव के धनी है।

2.2.1 भौगोलिक स्थितिः–

बस्तर क्षेत्र वन, पहाड़, घाटियां जैसे प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक संसाधनो से युक्त होने के कारण विख्यात है। बस्तर जिला $17^0 46'$–$20^0 34'$ उत्तरी अक्षांश तथा $80^0 15'$–$82^0 15'$ पूर्वी देशांश के मध्य स्थित है। बस्तर जिला के उत्तरी भाग में कांकेर जिला, दक्षिण भाग में दंतेवाड़ा जिला, पूर्व में उड़ीसा राज्य तथा पश्चिमी भाग में महाराष्ट्र राज्य है। बस्तर जिला समुद्रतल से 278.37 से 848 मीटर ऊँचाई पर स्थित है। उच्चावच की दृष्टि से बस्तर को अबूझमाड़ की पहाड़िया, उत्तरी–पूर्वी पठार तथा दक्षिण का पठार में विभाजित किया गया है।

2.2.2 इतिहासः–

बस्तर का इतिहास अद्‌भुत, गौरवशाली व अविस्मरणीय रहा है। आदिकाल में बस्तर को दण्डकारण्य, महाकांतारण्य, चक्रकूट, भ्रमरकूट तथा भ्रमरकोट्‌य नामों से जाना जाता था। बस्तर में ईसवी 400 से भारत की आजादी तक नल, गंग, नाग तथा चालुक्य काकतीय वंशीय शासकों ने शासन किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् बस्तर राज्य का विलय भारतीय गणराज्य में किया गया। स्वतंत्रता पश्चात् कांकेर व बस्तर दो रियासतों को मिलाकर बस्तर जिला बनाया गया। इसे 1981 में संभाग घोषित किया गया। मई 1998 में बस्तर संभाग को तीन जिलों में विभाजित कर मध्य बस्तर, उत्तर बस्तर (कांकेर) व दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) बनाया गया।

ऐतिहासिक रूप से बस्तर क्षेत्र रामायण ग्रन्थ में दण्डकारण्य नाम से वर्णित है। महाभारत ग्रन्थ में कोसल साम्राज्य के भाग के रूप में वर्णित है, सन् 450 ईस्वी में बस्तर क्षेत्र में नल राजा भवदत्त वर्मन का शासन था।

सन् 1324 ईसवी में काकतीय वंश के महाराजा अन्नम देव द्वारा बस्तर का शाही साम्राज्य स्थापित किया गया।

महाराजा अन्नम देव के बाद महाराजा हमीर देव, बैताल देव, महाराजा पुरूषोत्तम देव, महाराजा प्रताप देव, दिकपाल देव, राजपाल देव, ने शासन किया।

बस्तर शासन की प्रारंभिक राजधानी बस्तर शहर में बसाई गयी, फिर जगदलपुर शहर में स्थानान्तरित की गयी।

बस्तर में अंतिम शासन महाराजा प्रवीर चन्द्र भंजदेव (1936–1948) ने किया। महाराजा प्रवीर चन्द्र भंजदेव बस्तर के सभी समुदाय के लोकप्रिय शासक थे।

2.2.3. जनसंख्या:–

बस्तर जिले की कुल जनसंख्या सन् 2001 की जनगणना के अनुसार 1302253 थी जिसमें 648068 पुरूष व 654185 स्त्रियां थी। बस्तर का लिंगानुपात 1009 था। बस्तर में जनसख्या घनत्व 77 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है। बस्तर की कुल साक्षरता 45.48 प्रतिशत रहा। बस्तर जिले की जनसंख्या वर्ष 2011 में 1411644, वर्तमान कोंडागॉव जिले को सम्मिलित करते हुए थी। जिसमे 697359 पुरूष एवं 714285 महिलाएं थी। यहां की कुल जनसंख्या का समुदायवार विभाजन इस प्रकार है:–

तालिका क्र. 2.1

समुदायवार जनसंख्या का वितरण

(2001 की जनगणना के अनुसार)

क्र	समुदाय	जनसंख्या	
		संख्या	प्रतिशत
1	अनुसूचित जनजाति	742799	57.04
2	अनुसूचित जाति	83433	6.41
3	अन्य(अ.पि.व.+सामान्य)	476021	36.55
	योग	**1302253**	**100.00**

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि बस्तर जिला की 57.04 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति, 06.41 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति तथा शेष 36.55 प्रतिशत जनसंख्या अन्य पिछड़ा वर्ग व सामान्य वर्ग का है।

बस्तर जिला में गोंड तथा मुरिया, दण्डामी माड़िया, धुरवा आदि अविकसित तथा विकासशील उपजातियां तथा भतरा, हलबा विकासशील जनजातियां निवास करती है। अनुसूचित जातियों में माहरा, सतनामी, घसिया, गांडा आदि निवास करती है। पनारा, लोहार, सोनार, घड़वा, कुम्हार, राऊत, धाकड़, बुनकर आदि अन्य पिछड़ी जातियां तथा सामान्य वर्ग के लोग निवास करते है।

2.3 चयनित विकासखंड

कक्षा पहली से आठवीं तक अनुसूचित जनजाति छात्र–छात्राओं के शाला त्याग के कारणों का अध्ययन से संबंधित यह अध्ययन बस्तर जिले के बकावण्ड एवं बास्तानार विकासखंडों में पूर्ण किया गया है। भौगोलिक, विकासीय तथा सांस्कृतिक रूप से दोनों विकासखंड़ों में भिन्नता है। बकावण्ड विकासखंड मैदानी तथा अल्पवन युक्त है। इस क्षेत्र में निवासरत भतरा जनजाति का आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि तथा मजदूरी पर आधरित है। जिला मुख्यालय के समीप होने के कारण जागरूकता तथा विकासीय स्थिति तुलनात्मक रूप से संतोषजनक है जबकि बास्तानार विकासखंड पहाड़ी तथा वनयुक्त क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में निवासरत माड़िया जनजाति की आर्थिक स्थिति संकलन, परंपरागत कृषि व मजदूरी पर आधारित है। जिला मुख्यालय से दूर होने के कारण शिक्षा की स्थिति निम्न है व जागरूकता की कमी तथा अधिकांश क्षेत्र अविकसित है। इन विकासखंडों का परिचय निम्नांकित हैं–

2.3.1 बकावण्ड विकासखंडः–

बकावण्ड विकास खंड बस्तर जिला के मुख्यालय से उत्तर–पूर्व दिशा में स्थित है। जो कि कुल 668.02 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में बसा है। विकासखंड में कुल ग्रामों की संख्या 113 है। यहां की कुल जनसंख्या 126568 है। जिसमें पुरूष जनसंख्या 62905 व महिलाओं की संख्या 63663 हैं। जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है यहां भतरा जनजाती के साथ–साथ मुरिया, धुरवा व सुण्डी, पनारा, माहरा, धाकड़ राऊत आदि जातियॉ रहती है। बकावण्ड विकासखण्ड का मुख्यालय बकावण्ड बस्तर जिला के मुख्या से 25 कि.मी. दूरी पर अवस्थित हैं। बकावण्ड विकासखंड जगदलपुर व बस्तर विकासखंडो, कोण्डागॉव जिला व उडी़सा राज्य की तटीय सीमा पर अवस्थित है।

2.3.2 बास्तानार विकासखंड :–

बास्तानार विकासखंड बस्तर जिला के मुख्यालय से पश्चिम दिशा में अवस्थित है। जो कि कुल 483.72 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में बसा है। इस विकासखंड के कुल ग्रामों की संख्या 42 है। यहां की कुल जनंसख्या 43049 है, जिसमें पुरूष जनसंख्या 21056 व महिलाओं की संख्या 21993 हैं। जंगल तथा पहाड़ों के मध्य स्थित यह जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है। यहां निवास करने वाली मुख्य दण्डामी माड़िया जनजाति के साथ साथ मुरिया, धुरवा, भतरा, सुण्डी, माहरा, राउत आदि जातियॉ निवास करते हैं। बास्तानार विकासखंड का मुख्यालय किलेपाल बस्तर जिला के मुख्यालय से लगभग 50 कि.मी. की दूरी पर अवस्थित है। बास्तानार विकाखंड की सीमा जगदलपुर, तोकापाल, लोहाण्डीगुड़ा विकासखड़ों व दंतेवाडा जिला की तटीय सीमा पर अवस्थित है।

————000————

अध्याय–3

जनजातीय परिचय

बस्तर जिला जनजातियों के नैसर्गिक निवास क्षेत्र के रूप में विश्वविख्यात है। बस्तर जिला में गोंड, मुरिया, धुरवा, गदबा, दंडामी माड़िया, हल्बा, भतरा, परजा आदि जनजातियाँ निवास करती हैं। प्रस्तुत अध्ययन हेतु चयनित बकावंड विकासखंड में भतरा जनजाति तथा बास्तानार विकासखंड में दंडामी माड़िया जनजाति की अधिकता है। अध्ययन में शामिल शालात्यागी बालक–बालिका तथा उनके परिवार भतरा तथा दंडामी माड़िया जनजाति के हैं। इन जनजातियों का सामान्य सामाजिक–सांस्कृतिक परिचय शालात्याग के कारणों अथवा उनकी पृष्ठभूमि को समझने में सहायक सिद्ध होगा। भतरा तथा दंडामी माड़िया जनजाति का सामाजिक–सांस्कृतिक परिचय अधोलिखित है–

3.1. भतरा जनजातिः–

1. जनसंख्या एवं भौगोलिक वितरण

भतरा जनजाति मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित बस्तर तथा कोंडागांव जिले में पाई जाती है। भतरा जनजाति, मुख्य रूप कृषि तथा मजदूरी कार्य करने वाली शांतिप्रिय जनजाति है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में इनकी कुल जनसंख्या 213900 हैं, जोकि राज्य की जनजातीय जनसंख्या का 2.73 प्रतिशत है। भतरा जनजाति में साक्षरता दर 48.7 तथा लिंगानुपात 1032 है। उड़ीसा में यह जनजाति भोत्तड़ा कहलाती है। महाराष्ट्र में भी उनकी जनसंख्या पाई जाती है।

2. उत्पत्ति

भतरा जनजाति के उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक प्रमाण तो नही मिलता किंतु इन लोगों के अनुसार इनके पूर्वज बस्तर के राजा के पास सेवक के रूप में कार्य करते थे। राजा के पहरेदारी एवं घरेलू कामकाज में राजा के कारण विश्वास पात्र हुआ करते थे, जिससे इन्हें राजमहल में भतरी भी कहा जाता था, जो कालान्तर में 'भतरा' कहलाये। बस्तर व दंडकारण्य क्षेत्र में आदिकाल से इनका निवास स्थान रहा है।

3. भौतिक संस्कृति

भतरा जनजाति के गाँव कई पारों में बंटे होते हैं। गाँव में उनके साथ अन्य जाति के लोग भी निवास करते हैं। इनके घर मिट्टी के बने होते हैं। जिसका निर्माण ये स्वयं ही करते हैं। छत देशी खपरैल की होती है। मकान में चार–पॉच कमरे होते हैं। मकान के सामने बैठने के लिए चबुतरा होता है। घर की पुताई सफेद मिट्टी से की जाती है। कुछ दूरी पर जानवरों के लिए ''कोठा'' होता है। फर्श मिट्टी का होता है, जिसे सुबह गोबर से लीपा जाता है। घेरलू वस्तुओं में चारपाई, चक्की, मूसल, ओढ़ने–बिछाने के कपड़े, भोजन बनाने व खाने के बर्तन (एल्युमिनियम, कांसा, लोहा, मिटटी व स्टील) कृषि उपकरणों में कुल्हाड़ी, हल, बैलगाड़ी, खेती करने के छोटे–मोटे औजार, मछली पकड़ने का जाल आदि पाये जाते हैं।

भतरा स्त्री व पुरूष सुबह उठकर स्नान करते हैं। नीम, बबूल आदि वृक्ष की टहनियों से दातून करते है। महिलायें मिट्टी या रिठे के छिलकों से सिर धोती है। महिलायें सिर में तेल लगाकर बालों को अदंर की तरफ करके जुड़ा बांधती हैं। महिलायें अपने हाथ पैर व शरीर में विभिन्न आकृतियों का गुदना गुदवाती हैं। वस्त्र विन्या में पुरूष कमर में नीचे धोती (गोछी) पहनते हैं, स्त्रियां

आजकल साड़ी पहनती हैं। इनका मुख्य भोजन '';भात'' व 'पेज' हैं, उसके साथ उड़द, मूंग, कुल्थी की दाल, मौसमी सब्जी आदि खाते हैं। मांसाहार में बकरा मछली, मुर्गा आदि खाते है, पुरूष तंबाखू तथा बीड़ी का सेवन करते है।

4. आर्थिक जीवन

भतरा जनजाति का प्रमुख आर्थिक आधार कृषि, जंगली उपज संग्रह, जंगल से लकड़ी काटना, कृषि मजदूरी आदि है। कृषि में चॉवल, मक्का, अरहर, मूंग, तिवरा आदि की प्रमुख खेती होती है। सिंचाई के साधनों के अभाव में पैदावार पर्याप्त नहीं होती। जंगली उपज में महुआ, शहद, कोसा, गोंद, तेंदूपत्ता, लाख आदि संग्रह करके बाजार में बेचते हैं। वर्षांत में इकट्ठे हुए नाले पोखरी व तालाब के पानी से खाने हेतु मछली पकड़ते है।

5.सामाजिक संरचना

भतरा जनजाति में उपजातियॉ पीता भतरा, अमनीत भतरा, सान भतरा है। इसमें पीता भतरा उच्च, अमनीत भतरा व सान भतरा नीचे माने जाते हैं। उपजातियों में कई गोत्र होते हैं, इनके प्रमुख गोत्र कश्यप, बघेल, नाग एवं भारती, पुजारी आदि हैं। इन गोत्रों में टोटम भी पाये जाते है।

6. जीवन चक्रः–

(अ) जन्म संस्कारः–

भतरा जनजाति में मासिक चक्र के रूकने से गर्भधारण का निर्धारण होता है। गर्भावस्था में गर्भवती स्त्री तथा गर्भस्थ शिशु के लिये कोई विशेष संस्कार नहीं होता। प्रसव पति के घर पर ही होता है। गॉंव की वृद्धि महिलाओं व दाई की देखरेख में प्रसव कराया जाता है। बच्चे का नाल घर में एक फुट गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है तथा प्रसूता को तीन दिन तक जंगली जड़ी–बूटी व गुड़ का

काढ़ा पिलाया जाता है। छट्ठे दिन छट्ठी मनाई जाती है। बच्चे व प्रसूता को स्नान करा उस दिन सूर्य एंव कुल देवी को प्रणाम कराया जाता है। रिश्तेदारों को भोज दिया जाता हैं।

(ब) विवाह संस्कार

भतरा जनजाति में लड़कियों का विवाह 18 से 20 वर्ष तथा लड़कों का विवाह 19–21 वर्ष में किया जाता है। विवाह का प्रस्ताव लड़के वाले लड़की वालों के पास ले जाते हैं। विवाह में वर का पिता वधु के पिता को धान, दाल, नारियल हल्दी, सुपारी, दुल्हन के लिये साड़ी, ब्लाउज आदि वधु धन के रूप में देकर ही सामाजिक रूप से विवाह को मान्यता प्रदान की जाती है।

(स) मृत्यु संस्कार

भतरा जनजाति में मृत्यु होने पर नश्वर शरीर को दफनाया जाता हैं, किंतु कुछ परिवारों में जो संपन्न होते हें, वे व्यक्ति की मृत्यु होने पर शव को जलाते हैं। छोटे बच्चों को दफनाया जाता है। 10 वें दिन (दश नहानी) किया जाता है जिसमें सभी रिश्तेदार मौजूद रहते हैं, पुरूष सदस्य दाड़ी मूंछ व सिर के बाल मुंडवाते हैं। मृत्यु भोज दिया जाता है।

7. धार्मिक जीवन

भतरा जनजाति के प्रमुख देवी/देवता ठाकुर देव, बूढ़ा बाबा, मावली माता, परदेशीन माता, दंतेश्वरी माई बूढ़ी माई आदि हैं। इसके अतिरिक्त हनुमान, भगवान शिव, दुर्गा माता आदि की भी पूजा की जाती है। इनके प्रमुख त्यौहार में 'अमूस, नुआखानी, दियारी, दशहरा, होली, दिवाली आदि मनाये जाते हैं। ये भूत–प्रेत, जादू–टोने पर भी विश्वास करते हैं, जादू–मंत्र के जानकार वे व्यक्ति ''सिरहा'' कहलाता है।

8. लोक कलायें

भतरा जनजाति में बिहागीत, नाचा गीता, खेल गीत व नृत्य आदि करते हैं। लोक गीतों में इसके अतिरिक्त लोक कथायें व लोक कलायें भी काफी प्रचलित है।

9. शिक्षण

जनगणना 2011 के अनुसार इस जनजाति का शिक्षण का प्रतिशत 48.7 है, जिसमें पुरूषों का शैक्षणिक प्रतिशत 60.2 व महिलाओं का शैक्षणिक प्रतिशत 37.6 है।

10. परिवर्तन

भतरा जनजाति में शिक्षण व्यवस्था का बढ़ता स्वरूप तथा शहरी संपर्क, शासकीय विकास कार्यक्रमों द्वारा आर्थिक उन्नति के लिए किये गये प्रयासों से भतरा लोगों का सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक परिवर्तन काफी हुआ है। इनके खान पान, रहन सहन, वस्त्र विन्यास, शारीरिक स्वच्छता, श्रृंगार, आवास व्यवस्था, लोक कलाओं में भी परिवर्तन आया है।

3.2 दण्डामी माड़िया जनजातिः—

1. भौगोलिक वितरण एवं जनसंख्या

दण्डामी माड़िया छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण में स्थित बस्तर एवं दंतेवाड़ा जिला में निवास करती है। यह जनजाति बस्तर जिला के बस्तानार, दरभा व तोकापाल विकाखंण्ड में तथा दंतेवाड़ा जिला के दंतेवाडा, गीदम, भैरमगढ़, छिंदगढ़, सुकमा विकासखण्ड में निवास करती है।

2. उत्पत्ति एवं इतिहास

'दण्डामी माड़िया' को ''गौरसिंग माड़िया'' या ''बाईसन हार्न माड़िया'' भी कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति संबंधी अभिलेख उपलब्ध नहीं है। ग्रिगसन (1938) ने **द मारिया गोण्ड्स ऑफ बस्तर**' में सबसे पहले ''गौरसिंग माड़िया'' का नामकरण किया। इस नामकरण का आधार विवाह के अवसर पर माड़िया पुरूषों द्वारा सिर पर गौरसिंग धारण कर नृत्य करने का है। दण्डामी माड़िया जनजाति, आक्रामक स्वभाव, बस्तर दशहरा में रथ खींचने का कार्य एवं प्राचीन बस्तर रियासत में सैनिक कार्य के कारण चर्चित रहे है।

3. भौतिक संस्कृति

दण्डामी माड़िया जनजाति का निवास क्षेत्र जंगल–पहाड़ों के मध्य होता हे। इनका गाँव कई **पारा** (मुहल्लों) में बंटा होता है। इनके आवास झोपड़ी या मिट्टी से बने होते हैं। दीवारें तथा फर्श मिट्टी के तथा छत घास–फूंस, पत्थर या देशी खपरैल से निर्मित होता हे। इनका घर दो–तीन कमरों का होता है। इसमें प्रथम कक्ष बरामदा या बैठक कक्ष के रूप में उपयोग करते हैं, जिसके एक किनारे भोजन पकाया जाता है। अन्य कक्ष शयन व भण्डार कक्ष के रूप में उपयोग करते हैं। घर के साथ अलग–अलग पशुओं के लिए छोटे–छोटे लकड़ी से निर्मित दड़बे (पशु निवास) होते हें। गाय–बैल के लिए केतुल, सुअर के लिए 'पदगुड़ा', बकरी के लिए 'मेकाकोट्टम', मुर्गी के लिए 'कोईगुड़ा' कहे जाने वाले पशुगृह बनाये जाते हैं।

घरेलू उपयोगी वस्तुओं में 'ढ़ेंकी','मूसर' तथा 'उसपाल' या 'कोहनी' (गड्ढा) चूल्हा, 'कुतुल' (पीढ़ा/पाटी), गोट्टा (कूटने का पात्र), 'चिपड़ी' (पत्ता निर्मित पात्र), मिट्टी के बर्तन जैसे अड़का (हण्डी), 'उकुड़'(छोटा हण्डी), 'बोक्का' (तुमा) आदि होते हें। भोजन पकाने के लिए एल्यूमिनियम, कांस, पीतल, स्टील के

बर्तन उपयोग करते है। गंज, चम्मच, थाली, गिलास, 'कसेक'(चाकू) आदि प्रमुख घरेलू उपयोगी वस्तुएं है।

दण्डामी माड़िया जनजाति का आर्थिक कार्य कृषि, खाद्य संकलन, शिकार, पशुपालन एवं मछली मारना होने के कारण इनके घरों में फावड़ा, गैती, 'एटड़' (हंसिया), मर्सी'(कुल्हाड़ी), 'कुश'(साबल), 'गुदाड़ी'(कुदाली), 'वील्कूकोन' (तीर– धनुष), गुलेल, दांदर, जाल, 'गरी'(मत्स्याखेट हूक) आदि उपकरण होते हैं।

दण्डामी माड़िया जनजाति प्रतिदिन या एक से दो दिन के अंतराल में कुंआ, नदी, नाला, तालाब में मिट्टी या साबुन से स्नान करते हैं। वे अपने वस्त्रों की सफाई नियमित रूप से नहीं करते हैं। दण्डामी माड़िया पुरूष आपस में एक–दूसरे की दाड़ी–बाल काटते हें। साप्ताहिक बाजारों में जाने के कारण कुछ दण्डामी युवा नाई से दाढ़ी–बाल कटवाने लगे हैं। हाथ के नाखूनों को चाकू से काटते हैं। स्त्रियां बालों को कभी नही काटती। वे बालों में 'खोसा' (जुड़ा) या चोटी बनाते हैं। युवतियां बालों को 'पाया' (दो भागो) में बांटकर चोटी बनाती हैं तथा रंग–बिरंगे 'उतारी'(क्लीप) आदि केश श्रृंगार के लिए उपयोग करते है।

इनमें शारीरिक श्रृंगार तथा स्थायी पहचान हेतु गोदना गुदवाने का प्रचलन है। क्षेत्रीय बाजार या वार्षिक मेले में बांह, कलाई, चेहरे, पैर पर गुदना गुदवाते हैं। शारीरिक श्रृंगार के लिए दण्डामी माड़िया स्त्रियां शरीर के विभिन्न अंगों में आभूषण धारण करती हैं। वे गले में सूता (एल्यूमिनियम की माला) 'टीया'(लोहे की माला), रूपया माला, प्लास्टिक की मोतियों की माला, कानों में 'कर्णफूल', 'बाला', नाक में 'फूली' हाथ की कलाईयों में 'ऐंठी' (कड़ा), कांच की चूड़ियां आदि, हाथ की उंगलियों में मूंदी (अंगूठी) पैरों में 'ऐंठी' 'तोड़ा' (एल्युमिनियम के आभूषण) पहनती है।

दण्डामी माड़िया निर्धनता के कारण न्यूनतम वस्त्रों का उपयोग करते हैं। बाल्यावस्था में बालको को हाफपेंट व बालिकायें स्कर्ट पहने रहती हैं। युवा व प्रौढ़ पुरूष लुंगी, बनियान, शर्ट तथा स्त्रियां साड़ी पहनती हैं। वृद्धि पुरूष 'लंगोटी' धारण करते हैं। वर्तमान में बाजारों में मिलने वाले वस्त्रों को पहनने लगे है। दण्डामी माड़िया जनजाति के युवा स्त्री–पुरूष में पुरूषों के पास नृत्य के लिए विशेष पोशाक व आभूषण होता है।

इनका मुख्य भोजन भात, 'पेज' (चावल का पेय), दाल, मौसमी सब्जियां, कंदमूल तथा मांस है। मांस पालतू पशुओं या शिकार से प्राप्त होता है। ये तेल व मसालों का कम उपयोग करते हैं। मादक पदार्थो में 'गोरगाल' (सल्फी), 'छिंगरस', ताड़ी का रस, 'दांडो' (महुए की शराब) बनाकर पीते हैं। धुम्रपान के लिए बीड़ी 'चूट्टा'(चम्बाकू की चोंगी) पीते हैं व 'पोगो'(तम्बाकू) गुटखा आदि सेवन करते हैं।

4.आर्थिक जीवन

दण्डामी माड़िया जनजाति का मुख्य व्यवसाय पहले आदिम खेती, शिकार, जंगली उत्पादन संग्रह, शहद, कंदमूल, एकत्रित करना था। इस जनजाति के कुछ वर्ष पूर्व तक ''पेंदा'' खेती (स्थानांतरित खेती) करते थे। इनके साथ– साथ रहने वाली अन्य मुरिया, दोरला आदि समूह सीढ़ीनुमा खेती तथा समतल मैदानी इलाकों में रहने वाले स्थायी खेती करते है। जमीन असींचित होने के कारण वर्षा पर निर्भर रहते हैं। जिन्हें देखकर दण्डामी माड़िया जनजाति भी स्थाई खेती करने लगे है। मुख्य फसल कोदो, कुटकी, रागी, मड़िया, धान, ज्वार आदि है। पहाड़ी ढलान में तुअर, उड़द, मूंग, कुलथी, तिलहन आदि बोते है। बाड़ी में मौसमी सब्जियॉ उगाते हैं। छोटे पशु–पक्षियों का शिकार करते हैं। जंगली उत्पादन तेंदू अचार, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, महुआ, गुल्ली, साल बीज एकत्र कर बेचते है।

दण्डामी माड़िया जनजाति के कुछ लोग कृषि मजदूरी के साथ–साथ शासन द्वारा चलाये जा रहे निर्माण कार्यो में भी मजदूरी करने लगे है।

5 जीवन संस्कार

दण्डामी माड़िया जनजाति समूह में पाये जाने वाले मुख्य जीवन संस्कार निम्न हैः–

(अ) जन्म संस्कार

दण्डामी माड़िया जनजाति में मासिक चक्र के रूकने से गर्भधारण का निर्धारण होता है। गर्भावस्था में गर्भवती स्त्री पर प्रतिबंध नही रहता। वह सामान्य कार्य करती हैं। प्रसव का कार्य ग्राम की दो–तीन बुजुर्ग महिलाओं द्वारा कराया जाता है। बच्चे का नाल तीर से काटा जाता है तथा इसे घर के पीछे बाड़ी में गड़ा दिया जाता है। नाल झड़ने के पश्चात् पांचवे या छठवें दिन 'छठी' मनाया जाता हैं। इसमें बच्चे का नामकरण कर आमंत्रित रिश्तेदारों व ग्रामीणों को भोज दिया जाता है।

दण्डामी माड़िया जनजाति में किशोरावस्था से संबंधित कोई संस्कार नहीं है।

(ब) 'पेण्डूल'(विवाह) संस्कार

दण्डामी माड़िया जनजाति में लड़कों का विवाह 16–18 वर्ष की आयु में ताथा लड़कियों का 15–17 वर्ष की आयु में सम्पन्न होता है। दण्डामी माड़िया जनजाति में ममेरे–फुफेरे विववाह को अधिमान्यता प्राप्त है तथा यह अधिक संख्या में होते हैं। इनमें विवाह मुख्यतः अप्रैल से जून माह के मध्य होते हैं। इनमें 'तोड़ा' या 'खर्चा'(वधूमूल्य) का प्रचलन है इसमे चावल या कुटकी, लांदा, शराब, पशु, रूपये तथा वस्त्र दिये जाते हैं। इनमें विवाह के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैंः–

1. 'पेण्डूल'(सहमति विवाह)
2. 'लम्हाडा'(लमसेना) विवाह
3. हरण विवाह
4. 'गोचूट पेण्डूल'(पलायन विवाह)
5. विधवा विवाह

(स) मृत्यु संस्कार

दण्डामी माड़िया जनजाति में मृत्यु होने पर सगे–संबंधियों को सूचित किया जाता है। सगे–संबंधियों के आने के पश्चात् शव को आंगन में पानी से स्नान कर हल्दी–तेल लगाया जाता है व अर्थी में रखकर कपड़े ढँक देते है। शव यात्रा में ग्रामवासी व सगे–संबंधी होते है। श्मसान में ससुराल पक्ष द्वारा कब्र खोदा जाता है। इसमें शव को रखकर मिट्टी पाट दिया जाता है अस्वाभाविक मृत्यु जैसे दुर्घटना, सांप काटने, पशु शिकार, बीमार आदि होने के कारण मृत्यु होने पर शव को जलाया जाता है या श्मसान के स्थान पर अन्यत्र दफनाया जाता है। शेष रीतियां समान होती है। इसके तीसरे दिन 'उर्सेकाल' (मृतक स्तम्भ) गड़ाया जाता है। कुछ जगहों में मृतक स्तम्भ हेतु उपयुक्त पत्थर न मिलने पर 'उर्स गट्टा' (साजा की लकड़ी) गड़ाया जाता है।

इन दिन मृतक स्वजनों का शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण का कार्य 'गायता' (पुजारी) द्वारा करवाया जाता है। इस दिन घर की सफाई किया जाता है एवं घर का मुखिया गृह देवता (डूमा) को बलि देता है। इसी दिन मृतक को गृह देवता (डूमा) से मिलाने की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। इसके पश्चात् ग्रामवासियों को शराब, सुअर के साथ भोज दिया जाता है।

6.सामाजिक संरचनाः–

दण्डामी माड़िया, गोंड जनजाति की एक उपजाति हैं। इनके सामाजिक संगठन के मुख्य अंग निम्नलिखित हैः–

1. परिवार
2. वंश
3. गोत्र
4. नातेदारी

7.राजनैतिक संरचना

दण्डामी माड़िया जनजाति के सामाजिक कार्यो को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनका सशक्त जाति पंचायत होता है। इनमें द्विस्तरीय जाति पंचायत पाया जाता है।

1. ग्राम स्तरीय जाति पंचायत
2 परगना स्तरीय जाति पंचायत

8.धार्मिक जीवन

दण्डामी माड़िया अपने पूर्वजो पर अगाध श्रद्धा रखते हैं। इनका धर्म 'डूमा' (पूर्वजों के प्रेतात्मा) प्रकृति व अलौकिक शक्ति पर आधारित है।

इनके प्रमुख देवी–देवताओं में आंगादेव, डूमादेव, गोंडदेव, बूढ़ादेव, हांडादेव, बूढ़ीमाई, दंतेश्वरी माई, माता माई आदि है।

'ककसाड़' इनका प्रमुख त्यौहार है– इसमें आंगादेव की पूजा करते है। माघ माह में धान की कटाई व मिंजाई पूरी करके 'भीमल पण्डुम' माघ–फागुन में महुआ खाना प्रांरभ करने के लिए 'महुआ–पण्डुम' कालाधान के पकने से 'कोड़ता पंडुम' कृषि कार्य सम्पूर्ण रूप से सम्पन्न होने के पश्चात् 'गादी पण्डुम' पर्व मनाते

हैं। कृषि कर्म संबंधी इन उत्सवों–त्यौहारों में 'गायता' देवी–देवताओं को प्रसन्न करने हेतु मुर्गा की बली देकर महुआ की शराब अर्पित करते है।

दण्डामी माड़िया 'पांगन–नाशन'(जादू–टोना) से छुटकारा पाने हेतु गुनिया व गायता की सहायता प्राप्त करते है।

9.लोक कलाएं

सिर पर गौर सिंग जड़ित मुकुट और उस पर वन्यपक्षियों के रंग–बिरंगे पंखों के मौर वाली 'कलंगी', आंखो के सामने झूलते हुए कौड़ियों के झालर वाली विशेष वेश–भूषा से सजकर गौरसिंग नृत्य करते हैं। दण्डामी माड़िया जनजाति के मुख्य नृत्य–गीतों में 'पेंण्डुल पाटा', 'कोड़ता पाटा', 'कुर्रुम पाटा', 'ककसाड़ पाटा' आदि है। विवाह के अवसर पर 'पेण्डुलपाटा'(विवाह गीत) ककसाड़ पर्व के अवसर पर 'ककसाड़ पाटा' व अन्य विशेष अवसरों पर युवक गौरसिंग पहनकर तथा युवतियां बांह में 'नागमोड़ी' या 'बांहटा' कलाईयों में 'केड़े' व 'चूड़ियां', नाक पर 'फूल' व नीचे 'बुलाक', कान में 'खिलवा', उंगलियों में 'मूंदी'(अंगूठी) पांव में 'पैड़िया', गले में 'रूपयामाला' तथा सिर पर रंग–बिरंगी मोती की माला बांधकर हाथों में बांस की छड़ी रखते हैं। इन विशेष अवसरों पर 'मांढर' (ढोल) बजता रहता हैं व उसके थाप से सारे युवक–युवती लयबद्ध होकर नृत्य करते हैं।

10. परिवर्तन

दण्डामी माड़िया जनजाति में शासकीय प्रयासों व उनके निवास क्षेत्र में हो रहे शिक्षण व्यवस्था तथा आधुनिकता के प्रभाव व शहरी संपर्क के कारण कुछ परिवर्तन परिलक्षित हो रहे है। इनके खान–पान, रहन–सहन, वस्तु, निवास, श्रृगांर, आवास व्यवस्था में आधुनिकता तथा आंशिक परिवर्तन आया है।

————————000————————

अध्याय–4

सामाजिक – शैक्षणिक स्थिति

आदिवासी समाज सरल समाज होते हैं। इन समाजों में व्यक्ति परिवार तथा समाज पर पूर्णतः निर्भर होता है। यदि समाज में शिक्षा की स्थिति अच्छी है तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव नवीन पीढ़ी पर सकारात्मक होता है व समाज के सदस्य शिक्षा प्राप्त करने व उसकी निरंतरता बनाये रखते हुए उच्च स्तर तक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, इसके विपरीत स्थिति शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। चयनित शालात्यागी बच्चों के परिवार की सामाजिक शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन किया गया, जिसका विवरण निम्नांकित हैः–

4.1 जनसंख्याः–

''कक्षा पहली से आठवीं तक अनुसूचित जनजाति छात्र–छात्राओं के शाला त्याग के कारणों का अध्ययन'' हेतु बस्तर जिला के बकावंड एवं बास्तानार विकासखंड के 206 शालात्यागी बच्चों के तथा उनके परिवारों का अध्ययन किया गया। सर्वेक्षण के आधार पर इन परिवारों की जनसंख्या का विवरण तालिका क्र 4.1 में दिया गया है।

तालिका क्र.–4.1

सर्वेक्षित परिवारों की जनसंख्या का विवरण

क्र	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	पुरूष	566	50.81
2	स्त्री	548	49.19
	योग	**1114**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल सर्वेक्षित परिवारों की कुल जनसंख्या 1114 है। जिसमे 50.81 प्रतिशत अर्थात 566 पुरूष एवं 49.19 प्रतिशत अर्थात 548 स्त्रियॉ है।

4.2 जनजातिः–

इस अध्ययन हेतु बस्तर जिले के बकावंड तथा बास्तानार विकासखंड में सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षित परिवारों का जनजाति वार विवरण तालिका क्र.4.2 में दर्शाया गया है।

तालिका क्र.–4.2
सर्वेक्षित परिवारों की जनजाति का विवरण

क्र	जनजाति का विवरण	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	भतरा	102	49.51
2	दण्डामी मड़िया	104	50.49
	योग	**206**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल सर्वेक्षित परिवारों में से भतरा जनजाति के 49.51 प्रतिशत अर्थात् 102 परिवार व दण्डामी माड़िया जनजाति के 51.49 प्रतिशत अर्थात् 104 परिवार है।

4.3 परिवार

बच्चों के शिक्षा में परिवार का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, सर्वेक्षित जनजाति में एकल एवं संयुक्त परिवार पाये जाते है जिसका विवरण तालिका क्र. –4.3 में दिया गया है।

तालिका क्र.–4.3

सर्वेक्षित परिवारों के प्रकार का विवरण

क्र	परिवार का प्रकार	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	एकल	200	97.09
2	संयुक्त	06	2.91
	योग	**206**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल सर्वेक्षित परिवारों में से अधिकतम 97.09 प्रतिशत अर्थात 200 परिवारों के प्रकार एकल हैं जबकि न्यून्तम 2.91 प्रतिशत अर्थात मात्र 06 परिवार संयुक्त परिवार हैं।

4.4 गोत्र

जनजाति के सामाजिक संरचना में गोत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। जनजातियों के गोत्र, पशु, पक्षी, वनस्पति आदि पर आधारित होते हैं, जिनके निश्चत प्रतीक होते हैं। जनजातीय जीवन में गोत्र का बहुत महत्व होता है तथा गोत्र बहिर्विवाही प्रकृति के होते हैं। सर्वेक्षित परिवारों में गोत्र का विवरण तालिका क्र.– 4.4 में दिया गया है।

तालिका क्र. 4.4

सर्वेक्षित परिवार में गोत्र का विवरण

क्र	गोत्र का नाम	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	बघेल / बाघ	49	23.79
2	कश्यप / कछिम / कचिम / कच्छिम / कवच / वेजाय (कचिम)	46	22.33
3	मंडावी / मंडामी	29	14.08
4	पोयाम /पोयामी /पोड़ियामी	21	10.19
5	कुहरामी /करटामी / कोहरामी / कुड़ियामी /कहरामी	15	7.28
6	कर्मा / कमी	11	5.34
7	नेताम / कुत्ता	09	4.37
8	बेक्का /बेको /वेक्को /वेको / बेक्का	08	3.88
9	गावड़े	06	2.91
10	बकरा / बपरा / मौर्य / बोकड़ा	05	2.43
11	बेंजाम /वेंजाय	04	1.94
12	मुचाकी/ मुचकि	03	1.46
	योग	**206**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल 206 परिवार में सर्वाधिक 23.79 प्रतिशत 49 परिवार बघेल / बाघ गोत्र का है जबकि न्यूनतम 1.46प्रतिशत (3) परिवार मुचाकि, मुचकी गोत्र का है। उसी तरह 22.33 प्रतिशत (46) परिवार कश्यप कछिम / कचिम गोत्र का, 14.08 प्रतिशत (29) परिवार मंडावी / मंडामी गोत्र का, 10.19 प्रतिशत (21) परिवार पोयाम / पोयामी / पोड़यामी गोत्र का 7.28 प्रतिशत (15) परिवार कुहरामी / कुड़ियामी / कोहरामी / करहामी / करहामी गोत्र का 15.34 प्रतिशत (11) कर्मा / कमी गोत्र का, 4.37 प्रतिशत (9) परिवार कुत्ता / नेताम गोत्र का 3.88 (8) बेकको / बेको / वेको / वेक्को गोत्र का, 2.9 प्रतिशत(6) गावड़े गोत्र का 2.43 प्रततिशत(5) बकरा / बपरा / मौर्य गोत्र का, व 19. 4 प्रतिशत (4) बेंजाम / बेंजाम गोत्र का है।

4.5 साक्षरताः–

जनजातीय क्षेत्रों में साक्षरता दर सामान्य क्षेत्रों की तुलना में कम रहा है। पूर्व में अधिकांश जनजाति परिवार अशिक्षित थे किंतु शासकीय प्रयासों के फलस्वरूप जनजातीय क्षेत्रों में साक्षरता में वृद्धि हुई है फिर भी जनजातीय क्षेत्रों में साक्षरता की स्थिति संतोषजनक नहीं है। सर्वेक्षित परिवारों में साक्षरता का विवरण तालिका क्र 4.5 में दर्शाया गया है।

तालिका क्र. 4.5

साक्षरता का विवरण

क्र	विवरण	पुरूष		स्त्री		कुल योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	0 सें 5 तक	42	7.42	40	7.30	82	7.36
2.	शिक्षित	239	42.23	225	41.06	464	41.65
3.	अशिक्षित	285	50.35	283	51.64	568	50.99
	योग	**566**	**100.00**	**548**	**100.00**	**1114**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल सर्वेक्षित परिवारों की कुल जनसंख्या 1114 में 50.99 प्रतिशत अर्थात 568 व्यक्ति अशिक्षित है, 41.65 प्रतिशत अर्थात 464 व्यक्ति शिक्षित है। 7.36 प्रतिशत अर्थात 82 सदस्य 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के है जो कि शिक्षित व अशिक्षित की श्रेणी से अलग है।

सर्वेक्षित परिवारों के कुल 566 पुरूष सदस्य में से 7.42 प्रतिशत अर्थात 42 सदस्य 0 से 5 वर्ष के है। 42.23 प्रतिशत अर्थात 239 सदस्य शिक्षित है जबकि 50.35 प्रतिशत अर्थात 285 सदस्य अशिक्षित है। सर्वेक्षित परिवारों के कुल स्त्रियों में 7.30 प्रतिशत सदस्य अर्थात 40 सदस्य 0 से 5 वर्ष के है। 41.06 प्रतिशत अर्थात 225 सदस्य शिक्षित जबकि 51.64 प्रतिशत अर्थात 283 अशिक्षित है।

सर्वेक्षित परिवारों में 41.65 प्रतिशत व्यक्ति ही साक्षर हैं, जिसमें संयुक्त रूप से नियमित विद्यार्थी तथा शाला त्याग चुके सदस्य शामिल हैं। तालिका क्र. 4.6 में साक्षर सदस्यों का शिक्षा जारी तथा शिक्षा समाप्त के आधार पर विवरण दिया गया है।

तालिका क्र. 4.6

साक्षरता का विवरण (जारी–समाप्त)

क्र	विवरण	पुरूष		स्त्री		कुल योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	जारी	116	48.54	130	57.78	246	53.02
2	समाप्त	123	51.46	95	42.22	218	46.98
	योग	**239**	**100.00**	**225**	**100.00**	**464**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों में कुल शिक्षित 464 सदस्यों में से 53.02 प्रतिशत अर्थात 246 सदस्यों की शिक्षा जारी है जबकि 46.98 प्रतिशत अर्थात 218 सदस्यों की शिक्षा समाप्त हो चुकी है।

कुल शिक्षित 239 पुरूष में से 48.54 प्रतिशत अर्थात 116 पुरूष सदस्यों की शिक्षा जारी है, 51.46 प्रतिशत अर्थात 123 पुरूष सदस्यों की शिक्षा समाप्त हो चुकी है। इसी प्रकार कुल शिक्षित 225 स्त्री सदस्यों में 57.78 प्रतिशत अर्थात (130) सदस्यों की शिक्षा जारी है, 42.22 प्रतिशत अर्थात 95 सदस्यों की शिक्षा समाप्त हो चुकी है।

4.6 शिक्षा का स्तरः–

जनजातीय क्षेत्रों में अधिकांश साक्षर सदस्य प्राथमिक या माध्यमिक स्तर तक शिक्षित होते हैं। इन क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर से उच्चस्तर तक शिक्षा के दर में निरंतर कमी पाई जाती है। सर्वेक्षित परिवारों में शिक्षित सदस्यों का शिक्षा के स्तर अनुसार विवरण तालिका क्र. 4.7 में दर्शाया गया है।

तालिका क्र. 4.7

शिक्षा के स्तर अनुसार विवरण

क्र	विवरण	पुरूष		स्त्री		कुल योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	प्राथमिक शाला	169	70.71	151	67.11	320	68.97
2	माध्यमिक शाला	60	25.10	55	24.44	115	24.78
3	हाई स्कूल	07	2.93	14	6.22	21	4.53
4	हायर सेकण्डरी	03	1.26	03	1.33	06	1.29
5	कॉलेज	00	0.00	02	0.89	02	0.43
	कुल योग	**239.00**	**100.00**	**225.00**	**100.00**	**464.00**	**100.00**

उपरोक्त तालिका में सर्वेक्षित परिवारों में शिक्षा के स्तर को दर्शाया गया है। कुल 464 शिक्षित सदस्यों में से अधिकतम 68.97 प्रतिशत अर्थात 320 सदस्य प्राथमिक स्तर की शिक्षा, 24.78 प्रतिशत अर्थात 115 सदस्य माध्यमिक स्तर की शिक्षा, 4.53 प्रतिशत अर्थात 21 सदस्य हाईस्कूल, 1.29 प्रतिशत अर्थात 06 सदस्य

हॉयर सेकण्डरी स्तर तक तथा न्यूनतम 0.43 प्रतिशत अर्थात 02 सदस्य महाविद्यालय स्तर तक की शिक्षा प्राप्त हैं।

कुल शिक्षित पुरूषो में से अधिकतम 70.71 प्रतिशत अर्थात 169 सदस्य प्राथमिक स्तर तक तथा न्यूनतम 1.26 प्रतिशत अर्थात 03 सदस्य हायर सेकण्डरी स्तर तक शिक्षा प्राप्त हे। 25.10 प्रतिशत अर्थात 60 पुरूष माध्यमिक स्तर तक एवं 2.93 प्रतिशत अर्थात 07 सदस्य हाईस्कूल स्तर तक शिक्षा प्राप्त है जबकि महाविद्यालय स्तर पर एक भी पुरूष सदस्य नही पढ़े है।

सर्वेक्षित परिवारों में कक्षावार शिक्षित सदस्यों का विवरण तालिका क्र.4.8 में दर्शाया गया है।

तालिका क्र. 4.8

कक्षावार परिवार में शिक्षित सदस्यो का विवरण

क्र	शिक्षित सदस्य	संख्या	प्रतिशत
1	0 से 5 वर्ष	82	7.36
2	पहली	62	5.57
3	दूसरी	76	6.82
4	तीसरी	60	5.39
5	चौथी	44	3.95
6	पॉचवी	78	7.00
7	छठवीं	45	4.04
8	सातवीं	33	2.96
9	आठवीं	37	3.32
10	नवमीं	12	1.08
11	दसवीं	09	0.81
12	ग्यारहवीं	03	0.27
13	बारहवीं	03	0.27
14	महाविद्यालय	02	0.18
15	अशिक्षित	568	50.99
	योग	**1114**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवार के कुल 1114 सदस्यों में से अधिकतम 50.99 प्रतिशत (568) सदस्य अशिक्षित है, न्यूनतम 0.18 प्रतिशत (02) सदस्य महाविद्यालय स्तर तक शिक्षा प्राप्त हैं। 5.57 प्रतिशत (62) सदस्य कक्षा पहली तक, 6.82 प्रतिशत(76) सदस्य दूसरी कक्षा तक, 5.39 प्रतिशत (60) सदस्य तीसरी कक्षा तक, 3.95 प्रतिशत (44) सदस्य चौथी कक्षा तक, 07 प्रतिशत (78) सदसय पॉचवी कक्षा तक, 4.04 प्रतिशत (45) सदस्य छठवीं कक्षा तक, 2.96 प्रतिशत (33) सदस्य सातवीं कक्षा तक, 3.32 प्रतिशत (37) सदस्य अठवीं कक्षा तक, 1.08 प्रतिशत (12) सदस्य नवमीं कक्षा तक, 0.81 प्रतिशत (09) सदस्य दसवीं कक्षा तक, 0.27 प्रतिशत (03) सदस्य ग्यारहवीं कक्षा तक,0.27 प्रतिशत (03) सदस्य बारहवीं कक्षा तक तथा 7.36 प्रतिशत (82) सदस्य 0 से 05 आयु वर्ग के हैं।

4.7. 6 से 14 वर्ष आयुवर्ग में साक्षरता की स्थितिः–

6 से 14 वर्ष आयुवर्ग के बालक–बालिका को प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर तक शिक्षा हेतु लक्षित वर्ग माना जाता है। इस आयुवर्ग में साक्षरता की स्थिति का विवरण तालिका क्र–4.9 में दिया गया है।

तालिका क्र. 4.9

सर्वेक्षित परिवार के 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग में साक्षरता की स्थिति का विवरण

क्र	विवरण	पुरूष		स्त्री		कुल योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	प्राथमिक	144	77.01	143	52.38	287	62.39
2	माध्यमिक	43	22.99	47	17.22	90	19.57
3	अशिक्षित	46	24.60	37	13.55	83	18.04
	योग	**233**	**124.60**	**227**	**83.15**	**460**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारो में से 6 से 14 आयुवर्ग के कुल शिक्षितों में 62.39 प्रतिशत अर्थात 287 सदस्य प्राथमिक स्तर तक तथा 19.57 प्रतिशत अर्थात 90 सदस्य माध्यमिक स्तर तक कुल 81.96 प्रतिशत शिक्षित सदस्य तथा 18.04 प्रतिशत अर्थात 83 सदस्य अशिक्षित है।

इसी आयु वर्ग के कुल पुरूष सदस्य में से 77.01 प्रतिशत (144) प्राथमिक तथा 22.99 प्रतिशत (43) माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त हैं तथा 24.60 प्रतिशत (46) सदस्य अशिक्षित है। इस आयु वर्ग के कुल स्त्रियों में से 52.38 प्रतिशत(143) प्राथमिक स्तर 17.22 प्रतिशत (47) माध्यमिक स्तर तथा 13.55 प्रतिशत (37) सदस्य अशिक्षित है।

प्रस्तुत अध्ययन में 6–14 आयुवर्ग के बालक–बालिकाओं में शालात्याग की स्थिति का अध्ययन किया गया है। तालिका क्र.–4.9 में सर्वेक्षित परिवारों में 6 से 10 तथा 11 से 14 वर्ग अर्थात प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के बालक बालिकाओं के शिक्षा जारी तथा समाप्त या शालात्याग का विवरण दिया गया है–

तालिका क्र.4.10

सर्वेक्षित परिवार के 6 –14 वर्ष आयुवर्ग में (जारी –समाप्त)

क्र	विवरण	6–10 वर्ष			11–14 वर्ष			महायोग					
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	प्रतिशत	बालिका	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	जारी	45	62	107	40	40	80	85	38.12	102	43.04	187	40.65
2	समाप्त	35	43	78	57	55	112	92	41.26	98	41.35	190	41.30
3	अशिक्षित	24	11	35	22	26	48	46	20.63	37	15.61	83	18.04
	योग	**104**	**116**	**220**	**119**	**121**	**240**	**223**	**100.00**	**237**	**100.00**	**460**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल सर्वेक्षित परिवारों के 6–14 वर्ष आयुवर्ग के कुल शिक्षितों में से 40.65 प्रतिशत (187) सदस्यो की शिक्षा जारी, 41.

30 प्रतिशत (190) सदस्यों की शिक्षा समाप्त एवं 18.04 प्रतिशत (83) सदस्य अशिक्षित है।

6 से 10 वर्ष आयुवर्ग के कुल 220 तथा 11 से 14 आयुवर्ग के कुल 240 अर्थात 6 से 14 वर्ष के कुल 460 सदस्यों में से बालकों की संख्या 223 व बालिकाओं की संख्या 237 हैं।

कुल इस आयुवर्ग के 237 बालिकाओं में से 43.04 प्रतिशत (102) सदस्यों की शिक्षा जारी है, 41.35 प्रतिशत (98) सदस्यों की शिक्षा समाप्त एवं 15.61 प्रतिशत (37) सदस्य अशिक्षित हैं। उसी तरह इस आयुवर्ग के कुल 223 बालकों में से 38.12 प्रतिशत (85) सदस्यों की शिक्षा जारी, 41.26 प्रतिशत (92) सदस्यों की शिक्षा समाप्त एवं 20.63 प्रतिशत (46) सदस्य अशिक्षित है।

————–000————

अध्याय–5

शाला त्यागी बालक–बालिकाओं की स्थिति

ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों में विभिन्न कारणों से शाला त्यागने की प्रवृत्ति रही है। विद्यार्थी पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अध्ययन–अध्यापन संबंधी कठिनाई के कारण शाला का त्याग करते है। शाला त्यागने का क्रम पहली कक्षा से ही प्रांरभ हो जाता है, जो निरंतर बना रहता है। बच्चों के शाला त्यागने से व्यक्तिगत के विकास बाधित होता है तथा अल्प शिक्षित नागरिक अपने समाज तथा राष्ट्र के लिए पर्याप्त योगदान नही दे पाते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में शाला त्याग की प्रवृत्ति को रोकने हेतु अनेक अध्ययन, अनुसंधान तथा कार्यक्रम चलाये गए हैं, जिससे शालाओं में विद्यार्थियों की नियमित तथा अधिकाधिक उपस्थिति बनी रहे। मध्यान्ह भोजन जैसे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शालाओं में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देना तथा कुपोषण को दूर करना था। प्राथमिक स्तर से आदिवासी बालक–बालिकाओं के लिए मुफ्त गणवेश, किताब, छात्रवृति, आश्रम शाला, छात्रावास सुविधा प्रदान किया गया जिसमें इस वर्ग के विद्यार्थियों के शिक्षा प्राप्ति के मार्ग में कोई बाधा न रहे। उपर्युक्त प्रयासों के बाद भी जनजातीय क्षेत्रों में शाला त्यागने की प्रवृत्ति जारी है।

पूर्व में जनजातीय क्षेत्रों में स्त्री–पुरूष दोनों की साक्षरता दर निम्न थी, धीरे–धीरे साक्षरता की स्थिति में सुधार आने लगा है। जनजातीय समाज में पुरूषों की तुलना में स्त्रियों में साक्षरता दर आधी या दो तिहाई रही है अर्थात इन क्षेत्रो में बालिका शिक्षा पर अधिक ध्यान नही दिया गया है। वर्तमान में बालक के साथ–साथ बालिका शाला प्रवेश पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस कारण बालक तथा बालिका का शालाओं में प्रवेश लगभग शत–प्रतिशत होने

लगा है किन्तु शाला त्यागने की प्रवृत्ति पर पुरी तरह से सुधार नही किया जा सका है।

प्रस्तुत अध्ययन में बस्तर जिला के बकावंड तथा बास्तानार विकाखंडो के शाला त्यागी बच्चों का विवरण तालिका क्र 5.1 में दिया गया है।

तालिका क्र. 5.1

विकासखंडवार शालात्यागी बालक–बालिकाओं का विवरण

क्र	विकासखंड	बालक		बालिका		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	बकावण्ड	65	58.56	45	42.06	110	50.92
2	बास्तानार	46	41.44	62	57.94	108	49.08
	योग	**111**	**100.00**	**107**	**100.00**	**218**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित विकासखंडों में 50.92 प्रतिशत शालात्यागी बालक–बालिका बकावंड विकासखंड के हैं तथा 49.08 प्रतिशत शालात्यागी बालक–बालिका बास्तानार विकासखंड के हैं। इस प्रकार दोनों विकासखंडों के लगभग बराबर शाला त्यागी बालक–बालिका हैं।

बकावंड विकासखंड के शाला त्यागी बच्चों तथा उनकी संस्था का विवरण तालिका क्र 5.2 में दिया गया है।

तालिका क्र 5.2

बकावंड विकासखंड के शालावार शालात्यागी विद्यार्थियों का विवरण

क.	विकाखंड	शाला का नाम	शाला त्यागी		योग	
			बालक	बालिका	संख्या	प्रतिशत
1.	बकावंड	प्राथमिक शाला लावागांव	6	2	8	7.27
		प्राथमिक शाला बोरीपदर	2	5	7	6.36
		प्राथमिक कन्या शाला बकावड	-	2	2	1.82
		प्राथमिक शाला बोरोगॉव	7	1	8	7.27
		प्राथमिक शाला बनकोमार	2	1	3	2.73
		प्राथमिक शाला टेम्पल कोमार	2	1	3	2.73
		प्राथमिक शाला टेम्पल कोनार	-	2	2	1.82
		प्राथमिक शाला मोहलई	8	4	12	10.91
		प्राथमिक शाला बड़े जिराखाल	4	3	7	6.36
		प्राथमिक शाला पोलेबेडा	2	3	5	4.55
		प्राथमिक शाला राजनगर	4	-	4	3.64
		प्राथमिक शाला चोकनार	-	2	2	1.82
		उच्च माध्यमिक शाला जैबल	1	1	2	1.82
		उच्च माध्यमिक शाला छोटे जिराखाल	-	2	2	1.82
		उच्च माध्यमिक शाला टेम्लकोमार	1	1	2	1.82
		उच्च प्राथमिक शाला डिमरापाल	4	3	7	6.36
		उच्च प्राथमिक शाला वनकोमार	2	3	5	4.55
		उच्च प्राथमिक शाला चोकनार	4	2	6	5.45
		उच्च प्राथमिक शाला टेम्पल कोमार	1	-	1	0.91
		उच्च प्राथमिक शाला लावागांव	8	5	13	11.82
		पूर्व माध्यमिक शाला जैबेल	2	-	2	1.82
		पूर्व माध्यमिक शाला गारेगा	2	-	2	1.82
		पूर्व माध्यमिक शाला मरेठा	1	-	1	0.91
		पूर्व माध्यमिक शाला डुडरी आमा	2	2	4	3.64
		योग	**65**	**45**	**110**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बकावंड विकासखंड में सर्वेक्षित परिवारों में कुल 110 शालात्यागी विद्यार्थी हैं। जिसमें 65 बालक तथा 45 बालिका हैं।

बकावंड विकासखंड में सर्वाधिक 11.82 प्रतिशत विद्यार्थियों ने उच्च प्राथमिक शाला लावागांव से तथा न्यूनतम 0.91–0.91 प्रतिशत विद्यार्थियों ने उच्च प्राथमिक शाला टेम्पल कोमार एवं पूर्व माध्यमिक शाला मरेठा से शाला त्याग किये है।

बास्तानार विकासखंड के शाला त्यागी बच्चों तथा उनकी संस्था का विवरण तालिका क्र 5.3 में दिया गया है।

तालिका क्र 5.3

बास्तानार विकासखंड के शालावार शालात्यागी विद्यार्थियों का विवरण

क.	विकाखंड	शाला का नाम	शाला त्यागी		योग	
			बालक	बालिका	संख्या	प्रतिशत
1.	बास्तानार	प्राथमिक शाला पटेल पारा बास्तानार	2	9	11	10.19
		प्राथमिक शाला वेटटीपारा बडेकिलपाल	8	9	17	15.74
		प्राथमिक शाला बेकोपारा,कोडेनार	-	1	1	0.93
		प्राथमिक शाला रेल्वे कालोनी	1	8	9	8.33
		प्राथमिक शाला बड़ेकिलेपाल	2	2	4	3.70
		प्राथमिक शाला पटेलपारा किलेपाल	1	2	3	2.78
		प्राथमिक शाला सिलकझोड़ी	1	6	7	6.48
		प्राथमिक शाला गुड़ियापारा	8	8	16	14.81
		प्राथमिक शाला तिरथुम	5	2	7	6.48
		प्राथमिक शाला पेदापारा	2	2	4	3.70
		प्राथमिक शाला दुलापारा	7	6	13	12.04
		प्राथमिक शाला वटटीपारा	2	-	2	1.85
		प्राथमिक शाला पुजारीपारा	2	3	5	4.63
		उच्च प्राथमिक शाला सिलक जोडी	1	3	4	3.70
		उच्च प्राथमिक शालाकिलेपाल	2	-	2	1.85
		उच्च प्राथमिक शाला तिरथुम	2	1	3	2.78
		योग	**46**	**62**	**108**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बास्तानार विकासखंड में सर्वेक्षित परिवारो में कुल 108 शालात्यागी विद्यार्थी हैं। जिसमें 46 बालक तथा 62 बालिका हैं। बकावंड विकासखंड में सर्वाधिक 15.74 प्रतिशत विद्यार्थियों ने प्राथमिक शाला वेटटीपारा बडेकिलपाल से तथा न्यूनतम 0.93 प्रतिशत विद्यार्थियों ने प्राथमिक शाला बेकोपारा, कोडेनार से शाला त्याग किये है।

सर्वेक्षित परिवारों में शालात्यागी स्थिति को प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के साथ–साथ कक्षावार भी अध्ययन किया गया। तालिका क्र.– 5.4 में शालात्यागी बच्चों के कक्षा तथा विकासखंडवार शालात्याग का विवरण दिया गया है–

तालिका क्र.–5.4

शालात्यागी बच्चों का कक्षा तथा विकासखंडवार शाला त्याग का विवरण

क्र	कक्षा	बकावण्ड				बास्तानार				योग			
		बालक	बालिका	योग	प्रतिशत	बालक	बालिका	योग	प्रतिशत	बालक	बालिका	योग	प्रतिशत
1	पहली	1	2	3	2.73	10	20	30	28.04	11	22	33	15.14
2	दूसरी	5	0	5	4.55	16	23	39	36.45	21	23	44	20.18
3	तीसरी	8	1	9	8.18	4	7	11	10.28	12	8	20	9.17
4	चौथी	10	5	15	13.64	3	8	11	10.28	13	13	26	11.93
5	पॉचवी	12	10	22	20.00	8	2	10	9.35	20	12	32	10.55
	योग	**36**	**18**	**54**	**49.10**	**41**	**60**	**101**	**90.99**	**77**	**78**	**155**	**71.10**
6	छटवी	12	11	23	20.90	2	0	2	1.87	14	11	25	11.47.
7	सातवी	8	7	15	13.64	1	0	1	0.93	9	7	16	7.34
8	आठवी	9	9	18	16.36	2	2	4	3.74	11	11	22	10.09
	योग	**29**	**27**	**56**	**50.90**	**5**	**2**	**7**	**9.01**	**34**	**29**	**63**	**28.90**
	महायोग	**65**	**45**	**110**	**100.00**	**46**	**62**	**107**	**100.00**	**111**	**107**	**218**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित विकासखंडों में प्राथमिक स्तर में 71.10 प्रतिशत बालिका–बालिकाओं ने शाला त्याग किया गया है, जबकि 28.90 प्रतिशत बालक–बालिकाओं ने माध्यमिक स्तर पर शाला त्याग किया है। सर्वेक्षित

विकासखंड में सर्वाधिक 20.18 प्रतिशत बालक–बालिकाओं ने दूसरी कक्षा में शाला त्याग किया है जबकि न्यूनतम 7.34 प्रतिशत बालक–बालिकाओं ने सातवीं कक्षा में शाला त्याग किया है।

तालिका से यह भी स्पष्ट है कि बास्तानार विकासखंड में प्राथमिक स्तर पर 90.99 प्रतिशत विद्यार्थियों ने शाला त्याग किया है अर्थात बास्तानार विकासखंड में प्राथमिक स्तर पर शाला त्याग की अधिकता है जबकि बकावंड विकासखंड में माध्यमिक स्तर पर अधिक 50.90 प्रतिशत विद्यार्थियों ने शाला त्याग किया है अर्थात् बकावंड विकासखंड में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर समान रूप से शाला त्याग किया गया है।

सर्वेक्षित परिवारों में कक्षा पहली से आठवी तक शालागामी अर्थात् नियमित विद्यार्थियों व शाला त्यागी बच्चों का विवरण तालिका क्र 5.5 में दिया गया है।

तालिका क्र. 5.5

सर्वेक्षित परिवारों में कक्षा 1 से 8 वी तक शालागामी व शालात्यागी बच्चों का विवरण

क्र	विवरण	बालक		बालिका		कुल योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	शालागामी	106	48.85	111	50.92	217	49.89
2	शालात्यागी	111	51.15	107	49.08	218	50.11
	योग	**217**	**100.00**	**218**	**100.00**	**435**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल सर्वेक्षित परिवारों के कक्षा 01 से 08 वीं तक में कुल 435 बच्चों में से 49.89 प्रतिशत (217) सदस्य शालागामी हैं जबकि 50.11 प्रतिशत (218) सदस्य शाला त्याग चुके हैं। इनमे से 217 पुरूष

सदस्य हैं जबकि 218 स्त्री सदस्य हैं। इस वर्ग के पुरूष में से कुल शालागामी सदस्य 48.85 प्रतिशत (106) तथा 51.15 प्रतिशत (111) सदस्य शाला त्यागी हैं। इसी तरह इस वर्ग के कुल स्त्री में से 49.08 प्रतिशत (107) सदस्य शालात्यागी व 50.92 प्रतिशत (111) सदस्य शालागामी है।

कक्षा 1–8 के दौरान शालात्यागी बच्चों के शाला त्यागने की प्रवृत्ति का अध्ययन किया गया है। जिसमें प्रायः यह देखा गया माध्यमिक स्तर की तुलना में प्राथमिक स्तर में शाला त्यागने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। तालिका क्र.–5.6 में स्तर के अनुसार शालात्याग का विवरण दिया गया है।

तालिका क्र.–5.6

सर्वेक्षित परिवारों में शैक्षणिक स्तर अनुसार शालात्यागी बच्चों का विवरण

क्र	विवरण	बालक		बालिका		कुल योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	प्राथमिक	77	70.00	78	72.22	155	71.10
2	माध्यमिक	33	30.00	30	27.78	63	28.90
	योग	**110**	**100.00**	**108**	**100.00**	**218**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों के कुल 218 शालात्यागी बच्चों में से 71.10 प्रतिशत प्राथमिक स्तर पर शालात्यागी हैं जबकि 28.90 प्रतिशत विद्यार्थियों ने माध्यमिक स्तर पर शालात्याग किया है। सर्वेक्षित परिवारों के कुल 110 शाला त्यागी बालकों में से 70.00 प्रतिशत प्राथमिक स्तर पर शालात्यागी हैं जबकि 30.00 प्रतिशत विद्यार्थियों ने माध्यमिक स्तर पर शालात्याग किया है। सर्वेक्षित परिवारों के कुल 108 शालात्यागी बालिकाओं में से 72.22 प्रतिशत प्राथमिक स्तर पर शालात्यागी हैं जबकि 27.78 प्रतिशत बालिकाओं ने

माध्यमिक स्तर पर शालात्याग किया है। शैक्षणिक स्तर अनुसार शालात्याग की प्रवृत्ति बालक–बालिकाओं में लगभग समान पाया गया। स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर पर शालात्याग अधिक पाया गया।

बालक–बालिकाओं में शालात्याग का समय भी महत्वपूर्ण है। कुछ बालक–बालिकाएं सत्र के दौरान तथा कुछ सत्र के पश्चात् शालात्याग करते हैं। सत्र के दौरान शाला त्याग अनियमित उपस्थिति के कारण प्रारंभ होता है तथा यह अनुपस्थिति वार्षिक परीक्षाओं के दौरान भी जारी रहता है। सत्र के पश्चात् शालात्याग में वार्षिक परीक्षाओं के बाद नये सत्र में बालक–बालिकाएं शाला में उपस्थित ही नही होते। शालाओं के शिक्षक–शिक्षिकाओं द्वारा बालक–बालिकाओं तथा उनके पालक से संपर्क के बाद भी शाला में उपस्थित नही होते हैं। तालिका क.–5.7 में सर्वेक्षित परिवारों के शालात्यागी बालक–बालिकाओं के शालात्याग के समय का विवरण दिया गया है–

तालिका क्र 5.7

शाला त्यागने के समय का विवरण

क्र	विवरण	बालक	प्रतिशत	बालिका	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	सत्र के दौरान	76	69.72	64	58.72	140	64.22
2	सत्र के पश्चात्	33	30.28	45	41.28	78	35.78
	योग	**109**	**100.00**	**109**	**100.00**	**218**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल 218 शालात्यागी में से 64.22 प्रतिशत (140) सदस्य सत्र के दौरान तथा 35.78 प्रतिशत (78) सदस्य सत्र के पश्चात शाला त्यागे हैं। इसमें से 109 बालक में से 30.28 प्रतिशत (33) बालक सत्र के पश्चात शिक्षात्यागे जबकि 69.72 प्रतिशत (76) सदस्य सत्र के दौरान

शाला त्यागे हैं। इसी तरह बालिका वर्ग में 41.28 प्रतिशत (45) सदस्य सत्र के पश्चात् तथा 58.72 प्रतिशत (64) सदस्य सत्र के दौरान शाला त्यागे हैं।

विद्यार्थियों का शाला त्याग विद्यार्थी, पारिवारिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के प्रतिक्रिया का परिणाम है। शाला त्यागने की प्रक्रिया का प्रांरभ विद्यार्थी के शाला में अनियमित उपस्थिति से प्रांरभ होता है। अनियमित उपस्थिति के कारण शाला में शिक्षक की प्रतिक्रिया, कोर्स में पिछड़ने के कारण शिक्षा के प्रति अरूचि उत्पन्न होती है। पालको तथा शिक्षको के सहयोग के उपरांत भी सुधार नही हो पाता है और विद्यार्थी शाला त्याग देता है। सर्वेक्षण के दौरान शाला त्यागी बच्चों के पालकों से प्रतिक्रिया ज्ञात किया गया जिसका विवरण तालिका क्र.–5.8 में दर्शाया गया है।

तालिका क्र.–5.8

शाला त्याग पर पालकों की प्रतिक्रिया का विवरण

क्र	प्रतिक्रिया	पालक	
		संख्या	प्रतिशत
1	संतृष्ट	169	82.04
2	असंतुष्ट	37	17.96
	योग	**206**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित कुल शालात्यागी विद्यार्थियों के 82.04 प्रतिशत पालक संतुष्ट है जबकि 17.96 प्रतिशत बच्चों के पालक असंतुष्ट है। संतुष्ट पालक यह मानते है कि शाला त्यागी बालक–बालिका परिवार के कार्यों में मदद करेंगे जबकि शाला त्यागी बालक–बालिका के असंतुष्ट पालक

चाहते हैं कि अनके बालक या बालिका अध्ययन करे किंतु बालक या बालिका अध्ययन करना नही चाहते तथा पालकों की इच्छा की अवहेलना करते हैं।

सर्वेक्षण के दौरान शाला त्यागी बालक–बालिकाओ से पुनः अध्ययन प्रारंभ करने तथा इस हेतु अपेक्षित सहयोग की जानकारी प्राप्त किया गया जिसे तालिका क्र.–5.9 में दर्शाया गया हैं

तालिका क्र.–5.9

पुनः अध्ययन हेतु अपेक्षित सहयोग का विवरण

क्र	कारण	बालक	प्रतिशत	बालिका	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	हॉ	12	11.01	7	6.42	21	9.63
2	नही	97	88.99	102	93.58	197	90.37
	योग	**109**	**100.00**	**109**	**100.00**	**218**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों के कुल शालात्यागी सदस्यों में से पुनः अध्ययन हेतु अपेक्षित सहयोग के संबंध में 90.37 प्रतिशत(197) नहीं तथा 9.63 प्रतिशत (21), सदस्य हॉ में जवाब दिये।

शासन स्तर पर प्रत्येक किलोमीटर में प्राथमिक शाला तथा प्रति तीन कि. मी. में माध्यमिक शाला उपलब्ध कराने के नियम है क्योंकि शाला की समीपता विद्यार्थी तथा पालकों को शिक्षा प्राप्ति हेतु प्रेरित करता है। सर्वेक्षण के दौरान शाला त्यागी बच्चों के निवास से शाला की दूरी का आंकलन किया गया, जिसे तालिका क्र.– 5.10 में दर्शाया गया है।

तालिका क्र. 5.10

शाला की दूरी का विवरण

क्र	दूरी (मीटर में)	संख्या	प्रतिशत
1	0 से 500 मी. तक	42	19.27
2	500–1000 तक	105	48.17
3	1000–1500 तक	28	12.84
4	1500–2000 तक	08	3.67
5	2000 से अधिक	35	16.06
	योग	**218**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवार के कुल शालात्यागी 218 सदस्यों में से सर्वाधिक 48.17 प्रतिशत (105) सदस्यों की शाला की दूरी 500 से 1000 मीटर तक है जबकि न्यूनतम 3.67 प्रतिशत (08) सदस्यों की शाला की दूरी 1500 से 2000 मीटर तक हैं। 19.27 प्रतिशत (42) सदस्यां की शाला की दूरी 0 से 400 मीटर तक, 12.48 प्रतिशत (28) सदस्यों की शाला की दूरी 1000 से 1500 मीटर तक एवं 16.06 प्रतिशत (35) सदस्यों की शाला की दूरी 2000 मीटर अर्थात 2 कि.मी. से अधिक है।

शाला त्याग के कारण

सर्वेक्षित परिवारों में शाला त्यागने के कारण का विवरण को सारणी क्र.–5. 11 में दर्शाया गया है।

तालिका क्र.–5.11

सर्वेक्षित परिवारों में शाला त्यागने के कारण का विवरण

क्र	कारण	बालक	प्रतिशत	बालिका	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	घरेलु कार्य / गृह कार्य	8	7.34	19	17.43	27	12.39
2	घरेलू कार्य, गाय चराना	3	2.75	13	11.93	16	7.34
3	घरेलू कार्य, बच्चे देखभाल	0	0.00	2	1.83	2	0.92
4	घरेलू कार्य,मजदूरी	0	0.00	1	0.92	1	0.46
5	खेती	2	1.83	0	0.00	2	0.92
6	कृषि मजदूरी	2	1.83	0	0.00	2	0.92
7	मजदूरी	18	16.51	20	18.35	38	17.43
8	मजदूरी, घरेलू कार्य	1	0.92	1	0.92	2	0.92
9	मजदूरी, गाय चराना	1	0.92	2	1.83	3	1.38
10	गांव से बाहर मजदूरी	1	0.92	0	0.00	1	0.46
11	मवेशी चराना / गाय, भैस चाराना / बैल चराना	72	66.06	46	42.20	118	54.13
12	बीमार	1	0.92	0	0.00	1	0.46
13	बच्चो की देखभाल व कृषि	0	0.00	5	4.59	5	2.29
	योग	**109**	**100.00**	**109**	**100.00**	**218**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों में कुल शालात्यागी में से सर्वाधिक 54.13 प्रतिशत (118) सदस्य मवेशी चराना / गाय चराना / गाय, भैंस चाराना / बैल चराना को शालात्याग का कारण बताये, न्यूनतम 0.46 प्रतिशत (01) सदस्यों ने क्रमशः घरेलु कार्य व मजदूरी, गॉव से बाहर मजदूरी व बीमार को कारण बताया। 12.39 प्रतिशत (27)घरेलु कार्य / गृह कार्य को, शालात्याग का

कारण बाताया, 07.34 प्रतिशत (16) सदस्य घेरलू कार्य व गाय चराने को 17.43 (38) सदस्य मजदूरी को, 0.92 प्रतिशत (02) सदस्यों ने क्रमशः घेरलू कार्य व बच्चे के देखभाल को,खेती को व मजदूरी व घरेलू कार्य को कारण बताये। 1.38 प्रतिशत (03) सदस्य मजदूरी व गाय चराना, 2.29 प्रतिशत (5) सदस्यों ने बच्चो की देखभाल को शाला त्याग का कारण बाताया।

कुल 109 शालात्यगी बालकों में से सर्वाधिक 66.06 प्रतिशत (72) सदस्यों ने मवेशी चराना/गाय चराना/गाय, भैस चराना/बैल चराना को कारण बाताया जबकि न्यूनतम 0.92 प्रतिशत (01) सदस्यों ने क्रमशःबीमार, गांव से बाहर मजदूरी, मजदूरी व गाय चराना, तथा मजदूरी व घेरलू कार्य को कारण बताया। उसी तरह कुल 109 बालिकाओं में सर्वाधिक 42..20 प्रतिशत सदस्य मवेशी चराने को जबकि न्यूनतम 0.92 प्रतिशत (01) सदस्य क्रमशःमजदूरी व घेरलू कार्य को, घेरलू काम तथा मजदूरी को शाला त्याग का कारण बताया, 4.59 प्रतिशत (05) बालिकाओं ने सदस्य बच्चों की देखभाल को कारण बताया।

इस प्रकार स्पष्ट हे कि 6 से 14 के आदिवासी बालक–बालिकाओं के शालात्याग के कारण मुख्यतः पारिवारिक व आर्थिक है। वर्तमान में जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक सांस्कृति परिवर्तन हो रहे हैं इस कारण प्राचीन समय से चली आ रही हीति नियम व पारस्परिक कार्य में परिवर्तन होने लगा है। पूर्व में पशु चराने का कार्य समुदाय विशेष तक समिति था वर्तमान में उस समुदाय द्वारा पशु चराने का कार्य छोड़ देने के कारण शेष सभी जाति के परिवारों को अपने पशुओं को स्वयं चारागाह ले जाना पड़ता है। इस कार्य में परिवार के सदस्य छोटे बच्चों को उपयुक्त मानते है और पशु चराने भेजते है जिससे उनकी पढ़ाई शाला में उपस्थिति अनियमित तथा प्रभावित होती है। इसी प्रकार पारिवारिक–सामाजिक–आर्थिक कारण भी जनजातीय शिक्षा में बाधा उत्पन्न करते

है तालिका क्र 5.12 में सर्वेक्षित परिवारों में शिक्षा में बाधक परिस्थिति का विवरण दिया गया है।

तालिका क्र–5.12

सर्वेक्षित परिवारों में शिक्षा में बाधक परिस्थिति का विवरण

क्र	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	निजी /स्वास्थ्य	14	6.42
2	पारिवारिक	117	53.67
3	सामाजिक	05	2.29
4	आर्थिक	44	20.18
5	कारण स्पष्ट नही	38	17.43
	योग	**218**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवार के कुल 218 शालात्यागी सदस्यों में से सर्वाधिक 53.67 प्रतिशत (117) सदस्यों ने पारिवारिक परिस्थिति को शिक्षा में बाधक माना, न्यूनतम 2.29 प्रतिशत (05)सदस्यों ने सामाजिक परिस्थिति को शिक्षा में बाधक माना। 06.42 प्रतिशत (14) सदस्यों ने निजी एवं स्वास्थगत कारण को शिक्षा के लिए बाधक माना, 20.18 प्रतिशत (44) सदस्यों ने आर्थिक परिस्थिति को शिक्षा के लिए बाधक माना, तथा 17.43 प्रतिशत (38) सदस्यों ने शिक्षा में बाधक परिस्थिति के संबंध में कोई स्पष्ट अभिमत नही दिया।

————————000————————

अध्याय–6

शाला त्याग के कारणों का विश्लेषण

मुनष्य के समग्र विकास के लिए उसका शैक्षणिक विकास एक अहम विषय है। शैक्षणिक विकास के लिए शाला जाना व निरंतर उच्च स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने के फलस्वरूप साक्षरता दर में वृद्धि संभव हो पाता है। इसके विपरीत शाला त्याग व निम्न स्तर के कक्षाओं के बाद आगे शिक्षा का अवरूद्ध होना शैक्षणिक विकास में बाधक है।

भारत के संविधान के भाग–4 के अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की शैक्षणिक एवं आर्थिक उन्नति तथा सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार की शोषण से सुरक्षा राज्य का कर्तव्य माना गया है। राज्यों को निर्देशित किया गया है कि वे निम्न या कमजोर वर्ग के शैक्षणिक–आर्थिक विकास के लिए कार्य करेगें।

संविधान प्रावधान के तहत तथा विकासीय कारणों से स्वतंत्रता के पश्चात् शैक्षणिक विकास हेतु लगातार प्रयास किया जायेगा। प्रांरभिक काल में शिक्षा केवल उच्च वर्ग तथा शहरी क्षेत्रों तक ही समिति थी, जिसे धीरे–धीरे सभी वर्गो तथा क्षेत्रों के लिए सुलभ बनाया गया, जिसका परिणाम भी क्रमश दिखाई दिया। 1951 से 2011 तक विभिन्न जनगणनाओं में राष्ट्र की कुल साक्षरता दर तथा जनजातीय साक्षरता दर को क्र 5.1 में दर्शाया गया है।

तालिका क्र 6.1

1961 से 2011 तक राष्ट्र की कुल साक्षरता दर तथा जनजातीय साक्षरता दर का विवरण

क.	जनगणना वर्ष	कुल साक्षरता दर	जनजातीय साक्षरता दर	कुल साक्षरता एवं जनजातीय साक्षरता में अंतर
1.	1961	28.3	8.53	19.77
2.	1971	34.45	11.30	18.15
3.	1981	43.57	16.35	19.88
4.	1991	52.21	29.6	22.61
5.	2001	64.84	47.1	17.74
6.	2011	72.99	58.96	14.03

उपरोक्त तालिका में राष्ट्र में कुल जनसंख्या में साक्षरता दर, जनजातीय साक्षरता दर तथा दोनो में अन्तर दर्शाया गया है। जिससे स्पष्ट है कि प्रांरभ से ही कुल साक्षरता तथा जनजातीय साक्षरता में अधिकतम 22.61 प्रतिशत तथा न्यूनतम 14.03 प्रतिशत का अन्तर रहा। कुल साक्षरता तथा जनजातीय साक्षरता दर के मध्य अन्तर निरन्तर कम होता जा रहा है। क्योकि शैक्षणिक विकास कार्यक्रमों का प्रसार राष्ट्र के सभी क्षेत्रों में जारी है।

छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग एक तिहाई जनसंख्या जनजातियों की है। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के पूर्व सन् 1991 की जनगणना से 2011 तक जनजातीय तथा कुल जनसंख्या के साक्षरता का विवरण तालिका क्र 6.2 में दर्शाया गया है–

तालिका क्र.–6.2

1991 से 2011 तक राज्य की कुल साक्षरता दर तथा जनजातीय साक्षरता दर का विवरण

क.	जनगणना वर्ष	कुल साक्षरता दर	जनजातीय साक्षरता दर	कुल साक्षरता एवं जनजातीय साक्षरता में अंतर
1.	1991	42.91	26.7	16.2
2.	2001	64.70	52.1	12.6
3.	2011	70.63	59.1	11.2

उपरोक्त तालिका में राज्य में कुल जनसंख्या में साक्षरता दर, जनजातीय साक्षरता दर तथा दोनो में अन्तर दर्शाया गया है। पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य का हिस्सा रहा है इस कारण पूर्ववर्ती जनगणना में छ.ग. राज्य के जनजातीय साक्षरता दर स्पष्ट नही है। जनगणना 1991 से 2011 में कुल साक्षरता दर तथा जनजातीय साक्षरता दर के मध्य अन्तर निरन्तर कम होता जा रहा है क्योंकि शैक्षणिक विकास कार्यक्रमों का प्रसार राज्य के सभी क्षेत्रों में जारी है।

उपरोक्त साक्षरता विवरणों से स्पष्ट है कि जनजातीय साक्षरता दर कुल साक्षरता दर से कम है किंतु प्रत्येक जनगणना वर्ष में क्रमिक वृद्धि भी हो रही है। जनजातीय क्षेत्रों में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है किंतु अधिकांशतः प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षित है। जनजातीय क्षेत्र में उच्च स्तर तक शिक्षा प्राप्त न करने का मुख्य कारण शाला त्यागना है।

छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला के बकावण्ड व बास्तानार विकासखंड के सर्वेक्षित जनजातीय विद्यालय व उनके पालको व शिक्षकों से ''आदिवासी बालक/बालिकाओं में शाला त्यागी बच्चों की स्थिति का मूल्यांकन अध्ययन (वर्ष 2015–2016) विषयक अनुसंधान अध्ययन पूर्ण किया गया है। अध्ययन के दौरान प्राप्त शाला त्याग के कारणों का विश्लेषण निम्नानुसार हैः–

1.बच्चों की देखभाल–

सर्वेक्षित परिवारों में अधिकांश परिवार एकल परिवार (97.09 प्रतिशत) हैं। इन परिवारों में औसत सदस्य संख्या 5.41 है अर्थात् प्रत्येक परिवार में पति–पत्नी तथा बच्चों की संख्या 3–4 है। इन परिवारों का आर्थिक जीवन कृषि, संकलन तथा मजदूरी पर आधारित होने के कारण पति–पत्नी दोनों को आर्थिक कार्य पर संलग्न होना पड़ता है। जनजातीय परिवार के सभी सदस्य आर्थिक क्रियाओं में अपना योगदान देते हैं, इस कारण परिवार के बड़े बच्चे भी संकलन तथा मजदूरी कार्य में जाते हैं जबकि परिवार के छोटे बच्चे के देखरेख की जिम्मेदारी उनसे बड़े बच्चे को दिया जाता है, छोटे बच्चे की देखभाल करने के लिये बालक–बालिका घर पर ही रहते है। इस प्रकार शाला में उनकी अनियमित उपस्थिति हो जाती है तथा कोर्स में पिछड़ जाते है। इस कारण ऐसे बालक–बालिका अंततः शाला त्याग देते हैं।

2. मवेशी चराना–

सर्वेक्षित परिवारों में से अधिकांश परिवार में गाय, बैल, बकरी, बकरा, भेड़, भैंस, सूअर, मुर्गा–मुर्गी, बतख आदि पशु–पक्षियों का पालन किया जाता है। ये पशु इन परिवारों के भोजन तथा आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन मवेशियों के देखरेख व चरवाहे का कार्य परिवार जन को ही करना पड़ता है। परिवार के बुजुर्ग, स्त्रियां तथा बच्चे इस कार्य के लिये उपयुक्त माने जाते हैं। सर्वेक्षित परिवारों के 54.13 प्रतिशत बालक–बालिकाओं ने मवेशी चराने के कारण शाला त्याग किया है। इस कारण शाला गामी उम्र के बालकों की शिक्षा प्रभावित होती हैं तथा शाला त्याग होता है।

3. गृहकार्य–

सर्वेक्षित परिवारों के 12.39 प्रतिशत बालक–बालिकाओं ने घरेलू कार्य या गृह कार्य के कारण शाला त्याग किया है। अध्ययन से ज्ञात होता है कि घरेलू कार्य बालक–बालिका के शाला त्याग का कारण है क्योंकि माता–पिता आर्थिक कार्य में व्यस्त रहने के कारण पानी लाना, घर की साफ–सफाई, भोजन पकाना, छोटे भाई–बहिनों की देखभाल आदि गृह कार्य करना पड़ता है। इस कारण नियमित रूप से शाला में उपस्थिति, घर पर अध्ययन कार्य प्रभावित होता है। जिसके परिणाम स्वरूप बालक–बालिकायें शाला त्याग देती हैं।

4. कृषि–

अध्ययन क्षेत्र में निवासरत भतरा तथा दंडामी माड़िया जनजाति के आर्थिक जीवन में कृषि आधारभूत क्षेत्र है, जिसमें लगभग सभी परिवार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संलग्न हैं। सर्वेक्षित परिवारों के 1.84 प्रतिशत बालक–बालिकाओं ने कृषि कार्य या कृषि मजदूरी कार्य के कारण शाला त्याग किया है। इन परिवारों में बालक–बालिकाओं को 10–12 वर्ष की उम्र से ही कृषि कार्य में प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाता है। इन परिवारों में यह माना जाता है कि भविष्य में इन बालक–बालिकाओं को कृषि कार्य के माध्यम से ही जीवन यापन करना है, इसलिये इन्हे प्रशिक्षित किया जाता है। इससे परिवार के दो हित पूर्ण होते हैं– प्रथम, प्रशिक्षण कार्य तथा द्वितीय, परिवार के कृषि कार्य हेतु एक अतिरिक्त व्यक्ति की उपलब्धता। इस कारण जनजातीय परिवारों में शिक्षा को अधिक महत्व नही दिया जाता है तथा जीवन जीने के माध्यम के रूप में जीवनोपयोगी प्रशिक्षण को महत्व दिया जाता है।

5. मजदूरी –

अध्ययनरत भतरा तथा दंडामी माड़िया जनजाति के सदस्य कृषि तथा अन्य मजदूरी, शासकीय मजदूरी करते हैं। इन परिवारों के युवा सदस्य छत्तीसगढ़ के शहरों में तथा अन्य राज्यों में दो से छह माह मजदूरी हेतु पलायन करते हैं। कृषि मजदूरी में संलग्नता के कारण 13–14 वर्ष के बालक–बालिका शाला त्याग देते हैं तथा अपने परिवार को आर्थिक सहयोग प्रदान करते हैं। सर्वेक्षित परिवारों के 17.43 प्रतिशत बालक–बालिकाओं ने स्वयं या पालकों की मजदूरी कार्य के कारण शाला त्याग किया है। जिस परिवार में पिता या माता या दोनों दो से छह माह मजदूरी हेतु अन्यत्र पलायन करते हैं, ऐसी स्थिति में घर में रहने वाले किशोरवय बालक–बालिकाओं पर परिवार के प्रति जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जिसके निर्वहन के कारण बालक–बालिकाओं के विकास तथा शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

6. रोगग्रस्तता –

सर्वेक्षित परिवारों में कुछ बालक–बालिकाओं द्वारा रोगग्रस्त होने के कारण शाला त्याग किया है। शाला त्यागी बालक–बालिकायें पेट दर्द, सिर दर्द, मलेरिया व बुखार आदि रोग के कारण नियमित रूप से शाला में उपस्थित नही हो सके, बाद में कोर्स में पिछड़ने तथा शिक्षकों के भय के कारण शाला त्याग कर दिया है।

7. पालकों की अशिक्षा तथा अरूचि –

सर्वेक्षित परिवारों में शाला त्याग का एक कारण पालकों की अशिक्षा तथा शिक्षा के प्रति अरूचि पाया गया। सर्वेक्षित परिवारों में पालक अशिक्षित, माता या पिता में से एक अशिक्षित तथा अल्प शिक्षित अर्थात प्राथमिक स्तर पर शिक्षित है।

ऐसे पालक शिक्षा के महत्व से अज्ञान हैं तथा अपने बालक/बालिका को शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रेरित नही कर पाते हैं। अतः बालक/बालिका के प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने तथा 10–12 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात उन्हें परिवार की आवश्यकता पूर्ण करने में सहयोग लेते हैं। इस प्रकार शालागामी बालक/बालिका शाला को त्याग देते है।

8. शाला की दूरी–

सर्वेक्षित परिवारों में शाला त्याग का एक महत्वपूर्ण कारण घर से शाला दूर होना है। छत्तीसगढ़ राज्य के अनेक जनजातीय विकासखंड पहाड़ी तथा गहन वन युक्त हैं। अध्ययन हेतु चयनित बास्तानार विकासखंड पहाड़ी तथा वनयुक्त क्षेत्र है, इस क्षेत्र के ग्राम कम जनसंख्या तथा विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं। इस कारण घर से शाला की दूरी अधिक है तथा वर्षाकाल में बहने वाले नदी–नालों के कारण स्कूल की दूरी बढ़ जाती है क्योंकि इस दौरान मुख्य मार्ग से शाला जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में शालागामी बालक/बालिका तथा उनके पालक जोखिम उठाकर स्कूल जाने में भयभीत होते हैं तथा वर्षाकाल में शाला नही जाते हैं तथा धीरे–धीरे शाला त्याग देते हैं।

9 भाषा तथा विषयगत कठिनाई–

जनजातीय क्षेत्रों में शाला त्याग की समस्या का एक प्रमुख कारण विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के मध्य भाषागत कठिनाई होना है। प्रत्येक जनजाति की पृथक बोली होती है तथा बाहरी दुनिया से अल्प संपर्क के कारण जनजातीय क्षेत्र में अपनी बोली में ही संवाद किया जाता है। ऐसे परिवारों के बालक–बालिका शाला प्रवेश करने के पश्चात् शिक्षक–विद्यार्थियों के मध्य संवाद स्थापित नही हो पाता है तथा पाठ्यक्रम को समझना कठिन हो जाता है। इस कारण प्राथमिक

स्तर में शाला त्याग की प्रवृत्ति अधिक पायी जाती है। अध्ययन में पाया गया कि बास्तानार में निवासरत दंडामी माड़िया जनजाति में गोंडी बोली का प्रचलन है तथा दंडामी माड़िया जनजाति का बाहरी दुनिया से अल्प संपर्क होने के कारण इस क्षेत्र के बालक–बालिका को भाषागत समस्याओं का अधिक सामना करना पड़ता है। इसी कारण बास्तानार विकासखंड में प्राथमिक स्तर पर शाला त्याग की अधिकता पाया गया।

10 गरीबी–

जनजातीय क्षेत्रों में गरीबी शिक्षा के मार्ग में बाधक है। अनेक परिवारों में गरीबी के कारण बच्चों को शाला में दाखिला नही कराया जाता है। वे शाला जाने को समय का अपव्यय समझते हैं। ऐसे परिवारों में बाल्यकाल से बालक–बालिकायें पारिवारिक, आर्थिक कार्यों में संलग्न हो जाते है या कुछ वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात शाला त्याग देते हैं।

11 पारिवारिक परिस्थितियां–

जनजातीय क्षेत्रों कुछ बालक–बालिका को पारिवारिक परिस्थितियों या अचानक परिवर्तित पारिवारिक परिस्थितियों के कारण शाला त्याग करना पड़ता है। यह पारिवारिक परिस्थितियॉ परिवार में किसी का दुर्घटनाग्रस्त होना, बीमारी, आर्थिक कारण, पारिवारिक कलह आदि अनेक कारण हैं जिनके कारण कुछ बालक–बालिका को शाला त्याग करना पड़ता है।

12 सामाजिक–सांस्कृतिक कारक–

जनजातीय क्षेत्रों में बालक–बालिकाओं के शाला त्याग के लिये अनेक सामाजिक–सांस्कृतिक कारक भी जिम्मेदार है। जनजातियों के त्यौहार, उत्सव, मेले, विवाह व अन्य सामाजिक आयोजन लंबी अवधि तक चलते हैं, जिसमें

परिवार के सभी सदस्य भाग लेते हैं। इस कारण बालक–बालिका लंबे अवधि तक शाला से अनुपस्थित रहते हैं। इस प्रकार शाला में उनकी अनियमित उपस्थिति हो जाती है तथा कोर्स में पिछड़ जाते है। ऐसे परिवारों के पालकों तथा बालक–बालिका को शिक्षक द्वारा संपर्क के बाद भी विद्यार्थी भयवश शाला नही आते हैं तथा ऐसे बालक–बालिका अंततः शाला त्याग देते हैं।

13 शाला में उचित शैक्षणिक वातावरण का अभाव–

जनजातीय क्षेत्रों के कुछ शालाओं में उचित शैक्षणिक वातावरण के अभाव के कारण शाला त्याग होता है। ऐसे शालाओं में शिक्षक की कमी, शिक्षक की अनियमित उपस्थिति, शिक्षकों द्वारा अध्यापन में रूचि न लेना, विषयगत कठिनाईयों का उचित समाधान न होना आदि ऐसे अनेक कारण हैं, जिसके कारण शालाओं में उचित शैक्षणिक वातावरण का निर्माण नही होता है तथा जिससे कुछ पालक अपने बच्चों को पढ़ाना उचित न मानते हुए अपने बालक–बालिका को शाला त्याग करवा देते हैं।

————————000————————

अध्याय–7

''निष्कर्ष एवं सुझाव''

7.1 निष्कर्षः–

छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिला में बकावण्ड व बास्तानार विकासखंडों में ''कक्षा पहली से आठवीं तक अनुसूचित जनजाति छात्र–छात्राओं के शाला त्याग के कारणों का अध्ययन'' वर्ष 2015–16 विषयक किये गये अनुसंधान अध्ययन के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुये हैः–

किसी भी समाज के विकास के लिए शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। शिक्षा के विकास के साथ समाज के सर्वांगीण विकास की संभावनायें परिलक्षित होती है। भारत सरकार तथा राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक विकास हेतु विगत कुछ दशक से अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। इन सबके बावजूद बस्तर जैसे अनुसूचित क्षेत्र/जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र में आज भी शिक्षा का स्तर संतोषजनक नही है। अध्ययनों में देखा गया है कि आदिवासी बच्चों में शाला त्याग व निम्न कक्षाओं तक ही शिक्षा प्राप्त करने की प्रवृति पाई जाती है जो कि शैक्षणिक विकास में अवरूद्व का कारण है अतः छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिला के ''कक्षा पहली से आठवीं तक अनुसूचित जनजाति छात्र–छात्राओं के शाला त्याग के कारणों का अध्ययन'' (वर्ष 2015–2016) विषयक अध्ययन आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान क्षे.ई. जगदलपुर द्वारा पूर्ण किया गया है।

''कक्षा पहली से आठवीं तक अनुसूचित जनजाति छात्र–छात्राओं के शाला त्याग के कारणों का अध्ययन'' हेतु बस्तर जिले के चयनित बास्तानार तथा बकावंड विकासखंड के अंतर्गत आने वाले शालाओं में शिक्षा सत्र 2011–12 से

2014–15 तक चार शिक्षा सत्र के दौरान शाला त्याग चुके बच्चों पर यह अध्ययन किया गया। इस अध्ययन हेतु बकावंड विकासखंड के 24 तथा बास्तानार विकासखंड के 16 स्कूलों के सभी शाला त्यागी बच्चों/परिवार तथा शाला के शिक्षकों से प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया गया। इस प्रकार बकावंड विकासखंड के 102 तथा बास्तानार विकासखंड के 104 कुल 206 परिवारों तथा 218 शाला त्यागी बच्चों का अध्ययन किया गया।

प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु साक्षात्कार तथा अनुसूची प्रविधि का उपयोग किया गया। प्राप्त प्राथमिक तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन तथा विश्लेषण पश्चात् प्रतिवेदन लेखन किया गया।

शाला त्यागी बच्चों की स्थिति से संबंधित यह अध्ययन बस्तर जिले के बकावण्ड एवं बास्तानार विकासखंडों में पूर्ण किया गया है। भौगोलिक, विकासीय तथा सांस्कृतिक रूप से दोनो विकासखंड़ों में भिन्नता है। बकावण्ड विकास खंड बस्तर जिला के मुख्यालय से उत्तर–पूर्व दिशा में स्थित है। जो कि कुल 668.02 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में बसा है। बास्तानार विकास खंड बस्तर जिला के मुख्यालय से पश्चिम दिशा में अवस्थित है। जो कि कुल 483.72 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में बसा है।

अध्ययन में शामिल शालात्यागी बालक–बालिका तथा उनके परिवार भतरा तथा दंडामी माड़िया जनजाति के हैं।

कुल सर्वेक्षित परिवारों की कुल जनसंख्या 1114 है। जिसमे 50.81 प्रतिशत अर्थात 566 पुरूष एवं 49.19 प्रतिशत अर्थात स्त्रियों की संख्या 548 है।

सर्वेक्षित परिवारों में से भतरा जनजाति के 49.51 प्रतिशत अर्थात् 102 परिवार व दण्डामी माड़िया जनजाति के 51.49 प्रतिशत अर्थात् 104 परिवार है। सर्वेक्षित परिवारों में से अधिकतम 97.09 प्रतिशत अर्थात 200 परिवारों के प्रकार एकल हैं जबकि न्यूनतम 2.91 प्रतिशत अर्थात मात्र 06 परिवार संयुक्त परिवार हैं।

सर्वेक्षित परिवारों में साक्षरता दर 41.65 प्रतिशत है। जिसमें 42.23 प्रतिशत पुरूष तथा 41.06 प्रतिशत स्त्रियॉ साक्षर हैं।

सर्वेक्षित परिवारों में कुल शिक्षित सदस्यों में से 53.02 प्रतिशत अर्थात 246 सदस्यों की शिक्षा जारी है जबकि 46.98 प्रतिशत अर्थात 218 सदस्यों की शिक्षा समाप्त हो चुकी है।

जनजातिय क्षेत्रों में अधिकांश साक्षर सदस्य प्राथमिक या माध्यमिक स्तर तक शिक्षित होते हैं। इन क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर से उच्चस्तर तक शिक्षा के दर में निरंतर कमी पाई जाती है। सर्वेक्षित परिवारों में अधिकतम 68.97 प्रतिशत सदस्य प्राथमिक स्तर तथा न्यूनतम 0.43 प्रतिशत सदस्य महाविद्यालय स्तर तक की शिक्षा प्राप्त किये हैं।

सर्वेक्षित परिवारो में से 6 से 14 आयुवर्ग के कुल शिक्षितों में 62.39 प्रतिशत सदस्य प्राथमिक स्तर तक तथा 19.57 प्रतिशत सदस्य माध्यमिक स्तर शिक्षित है। सर्वेक्षित परिवारो में 6 से 14 आयुवर्ग में 81.96 प्रतिशत शिक्षित तथा 18.04 प्रतिशत सदस्य अशिक्षित है।

सर्वेक्षित परिवारों के 6–14 वर्ष आयुवर्ग के कुल शिक्षितों में से 40.65 प्रतिशत सदस्यो की शिक्षा जारी, 41.30 प्रतिशत सदस्यों की शिक्षा समाप्त एवं 18.04 प्रतिशत (83) सदस्य अशिक्षित है।

सर्वेक्षित परिवारों के कक्षा 01 से 08वीं तक में कुल 435 बच्चो में से 49.89 प्रतिशत (217) सदस्य शालागामी हैं जबकि 50.11 प्रतिशत (218) सदस्य शाला त्याग चुके

सर्वेक्षित परिवारों के कुल शाला त्यागी बच्चों में से 50.92 प्रतिशत (111) बालक है जबकि 49.08 प्रतिशत (107) बालिका हैं।

सर्वेक्षित परिवारों के कुल 218 शालात्यागी बच्चों में से 71.10 प्रतिशत प्राथमिक स्तर पर शालात्यागी हैं जबकि 28.90 प्रतिशत विद्यार्थियों ने माध्यमिक स्तर पर शालात्याग किया है। सर्वेक्षित परिवारों के कुल 110 शाला त्यागी बालकों में से 70.00 प्रतिशत प्राथमिक स्तर पर शालात्यागी हैं जबकि 30.00 प्रतिशत विद्यार्थियों ने माध्यमिक स्तर पर शालात्याग किया है। सर्वेक्षित परिवारों के कुल 108 शालात्यागी बालिकाओं में से 72.22 प्रतिशत प्राथमिक स्तर पर शालात्यागी हैं जबकि 27.78 प्रतिशत बालिकाओं ने माध्यमिक स्तर पर शालात्याग किया है। शैक्षणिक स्तर अनुसार शालात्याग की प्रवृत्ति बालक–बालिकाओं में लगभग समान पाया गया।

सर्वेक्षित विकासखंडों में 50.92 प्रतिशत शालात्यागी बालक–बालिका बकावंड विकासखंड के हैं तथा 49.08 प्रतिशत शालात्यागी बालक–बालिका बास्तानार विकासखंड के हैं। इस प्रकार दोनों विकासखंडों के लगभग बराबर शाला त्यागी बालक–बालिका हैं।

सर्वेक्षित विकासखंडों में प्राथमिक स्तर में 71.10 प्रतिशत बालिका–बालिकाओं ने शाला त्याग किया गया है, जबकि 28.90 प्रतिशत बालक–बालिकाओं ने माध्यमिक स्तर पर शाला त्याग किया है। सर्वेक्षित विकासखंड में सर्वाधिक 20.18 प्रतिशत बालक–बालिकाओं ने दूसरी कक्षा में शाला त्याग किया है जबकि न्यूनतम 7.34 प्रतिशत बालक–बालिकाओं ने सातवीं कक्षा में शाला त्याग किया है।

कुल 218 शालात्यागी में से 64.22 प्रतिशत सदस्य सत्र के दौरान तथा 35.78 प्रतिशत सदस्य सत्र के पश्चात शाला त्यागे हैं।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित कुल शालात्यागी विद्यार्थियों के 82.04 प्रतिशत पालक संतुष्ट है जबकि 17.96 प्रतिशत बच्चों के पालक असंतुष्ट है।

सर्वेक्षित परिवारों के कुल शालात्यागी सदस्यों में से पुनः अध्ययन हेतु अपेक्षित सहयोग के संबंध में 90.37 प्रतिशत(197) नहीं तथा 9.63 प्रतिशत (21) सदस्य हॉ में जवाब दिये।

सर्वेक्षित परिवार के कुल शालात्यागी 218 सदस्यों में से सर्वाधिक 48.17 प्रतिशत (105) सदस्यों की शाला की दूरी 500 से 1000 मीटर तक है जबकि न्यूनतम 3.67 प्रतिशत (08) सदस्यों की शाला की दूरी 1500 से 2000 मीटर तक हैं।

सर्वेक्षित परिवारों में कुल शालात्यागी में से सर्वाधिक 54.13 प्रतिशत (118) सदस्य मवेशी चराना / गाय चराना / गाय,भैंस चाराना / बैल चराना को शालात्याग का कारण बताये, न्यूनतम 0.46 प्रतिशत (01) सदस्यों ने क्रमशः घरेलु कार्य व मजदूरी, गॉव से बाहर मजदूरी व बीमार को कारण बताया। शालात्याग के अन्य कारणों में घरेलु कार्य / गृह कार्य, मजदूरी, बच्चे के देखभाल, खेती कारण बताये। 1.38 प्रतिशत (03) सदस्य मजदूरी व गाय चराना, 2.29 प्रतिशत (5) सदस्यों ने बच्चो की देखभाल को शाला त्याग का कारण बाताया।

सर्वेक्षित परिवार के कुल 218 शालत्यागी सदस्यों में से सर्वाधिक 53.67 प्रतिशत सदस्यों ने पारिवारिक परिस्थिति को तथा न्यूनतम 2.29 प्रतिशत सदस्यों ने सामाजिक परिस्थिति को शिक्षा में बाधक माना।

अध्ययन के दौरान शाला त्याग के मुख्य कारण परिवार के छोटे बच्चे की देखभाल, मवेशियों के देखरेख व चरवाहे का कार्य, गृह कार्य, कृषि कार्य, मजदूरी व पलायन, रोगग्रस्तता, पालकों की अशिक्षा तथा शिक्षा के प्रति अरूचि, घर से

शाला की दूरी, विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के मध्य भाषागत कठिनाई, कठिन पाठ्यक्रम, शालाओं में उचित शैक्षणिक वातावरण का अभाव, गरीबी, पारिवारिक परिस्थितियॉ, तथा सामाजिक–सांस्कृतिक कारक भी जिम्मेदार है।

6.2 सुझावः–

छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिला में बकावण्ड व बास्तानार विकासखंडों में ''कक्षा पहली से आठवीं तक अनुसूचित जनजाति छात्र–छात्राओं के शाला त्याग के कारणों का अध्ययन'' वर्ष 2015–16 विषयक किये गये अनुसंधान अध्ययन के आधार पर आदिवासी विद्यार्थियों में शाला त्याग को रोकने व साक्षरता के स्तर को बढ़ाने हेतु निम्नलिखित सुझाव हैः–

1. बच्चों में पढ़ाई के प्रति रूचि बढ़ानाः–

जनजातीय क्षेत्र में निवासरत बच्चों में शिक्षा के प्रति उदासीनता दूर करने शाला त्याग को रोकने व साक्षरता बढ़ाने हेतु आदिवासी बच्चों में पढ़ाई के प्रति रूची बढ़ाने की आवश्यकता है।

2. पालको की अभिरूचि में बढ़ोत्तरीः–

त्यागी विद्यार्थियों को शाला त्याग की बुराई से अवगत कराते हुए बच्चों को शिक्षा को निरंतर करने बाबत् अभिरूची में बढ़ोतरी करना चाहिए।

3. भाषागत कठिनाई दूर करना :–

जनजातीय क्षेत्रों में प्रारंभिक शिक्षा के बढ़ावा देने व शाला त्याग को रोकने के लिए बच्चों को उनके अपनी मातृबोली हल्बी, गोंडी, भतरी में शिक्षा देना चाहिए।

4. शाला की दूरीः–

उच्च कक्षाओं में प्रवेश पूर्व जो बच्चे शाला त्याग है यदि उनकी शाला की दूरी अधिक है तो शाला का व्यवस्था करना चाहिए ताकि शाला त्याग में कमी आ सके।

5. बालश्रम पर रोकः–

यद्यापि बालश्राम पर कानूनी तौर पर रोक है पंरतु आज भी बालश्रम जारी है। शासन व गैर शासकीय संस्थाओं के सहयोग से बच्चों को भारी आर्थिक व परिश्रमिक जातिविधियों पर रोक लगाना चाहिए ताकि शाला त्याग रूके व वे बच्चे शाला की ओर उन्मुख होवें।

6. आधुनिक कृषि को बढ़ावाः–

आधुनिक कृषि को बढ़ावा मिलने में मानवश्रम की आवश्यकता होती है ऐसे में बच्चों के श्रम साधन काम में कमी आयेगी, काम में कम सहभागिता होने पर वे अधिक शाला जा सकेगे।

7. योजनाओं का समुचित क्रियान्वनः–

शासकीय योजनाओं का व्यवहारी क्षेत्र में समुचित क्रियान्वयन से आदिवासी क्षेत्र में शाला त्याग में कमी आ सकेगा।

8. शिक्षा जागरूकता को बढ़ावाः–

यदि आदिवासी क्षेत्र के बच्चों व इनके पालको में जागरूकता आयेगी तो वे शिक्षा के महत्व को समक्ष पायेगे व शाला जाने हेतु प्रोत्साहित होंगे जिससे स्वतः शाला त्यागी प्रवृत्ति कम हो जाएगी।

9. पंचायत की सहभागिता :–

कक्षा 1–8 तक बालक–बालिकाओं में शाला त्याग को रोकने में पंचायत की सहभागिता महत्वपूर्ण है। पंचायत की शाला समिति पालकों को नियमित रूप से बालक–बालिकाओं को शाला भेजने हेतु समझाईश दे सकती है। यदि इसके बाद भी किसी परिवार के बालक–बालिका शाला से अनुपस्थित होते हैं या शाला त्याग करते हैं तो पंचायत उन परिवारों को राशन दुकान से सामान लेने पर रोक लगाकर या पंचायत के कामों में उनकी सहभागिता रोक कर दबाव बनाकर शाला त्याग को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर सकती है। इसी प्रकार पंचायत की शाला समिति के सदस्य शालाओं का नियमित निरीक्षण कर शिक्षकों की उपस्थिति, अध्यापन आदि पर नियंत्रण कर सकती हैं, जिससे ग्राम में शिक्षा के प्रति सकारात्मक वातावरण निर्मित करने में सहायक सिद्ध होगा।

10. नियमित शिक्षकों की नियुक्ति तथा वेतन विसंगति को दूर करना

अध्ययन के दौरान स्पष्ट हुआ कि शिक्षकों की अध्यापन के प्रति अरूचि का मुख्य कारण वेतन विसंगति तथा वेतन का अनियमित रूप से प्राप्त होना है। शालाओं में नियमित शिक्षक, आठ वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके तथा पूर्ण वेतनमान में कार्यरत शिक्षा कर्मी तथा आठ वर्ष से कम सेवावधि के शिक्षा कर्मी, जिन्हें शाला में कार्यरत नियमित भृत्य से भी कम वेतन प्राप्त हो रहा है तथा वेतन दो–तीन माह के अंतराल में प्राप्त हो रहा है। इस कारण ऐसे शिक्षाकर्मियों के भरोसे चल रहे अधिकांश प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शालाओं में शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नही है। शिक्षाकर्मी आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त रहने के कारण पूर्ण रूप से शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित नही कर पाते हैं तथा शालाओं में उचित शैक्षणिक वातावरण निर्मित नही हो पाता है। अतः ग्राम में शिक्षा के प्रति सकारात्मक वातावरण निर्मित करने व शाला त्याग को रोकने हेतु शालाओं में

नियमित शिक्षकों की नियुक्ति अत्यंत आवश्यक है। जिससे शिक्षक आर्थिक समस्याओं से मुक्त होकर अध्यापन कार्य कर सकेंगे।

कक्षा 1–8 तक के आदिवासी बालक–बालिकाओं में शाला त्याग को रोकने के लिये परिवार, समाज तथा शासन सभी की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य हैं क्योंकि अल्प शिक्षित नागरिक परिवार, समाज तथा देश के सर्वांगीण विकास में बाधक है। शाला त्याग की प्रवृत्ति को दूर करने के लिये शिक्षक, परिवार तथा समाज को मिलकर कदम उठाना होगा।

संचालक
आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
रायपुर (छ.ग.)

उप-संचालक,
आदिम जाति अनुसंधान
एवं प्रशिक्षण संस्थान,
रायपुर. (छ.ग.)

---------000---------